वार्षिक रिर्पोट
2014-15

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
C-32, IInd Floor, Neeti Bagh, New Delhi
Phone: 011-46061935, Fax: 011-41013385
Website: www.brlf.in
E-mail: info@brlf.in

भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

श्री धान विधि द्वारा धान की खेती को प्रोत्साहन
कन्याश्वरी सृजन

विषय सूची

अध्यक्ष का संदेश	01
बीआरएलएफ के बारे में	03
प्रस्तावना	05
बीआरएलएफ के कार्यों का भौगौलिक केंद्र	09
बीआरएलएफ स्वशासन	11
पारदर्शिता व जवाबदेही	14
निधि/अनुदान जुटाना	15
कार्यक्रम व गतिविधियां	16
कार्यक्रम साझेदार	21

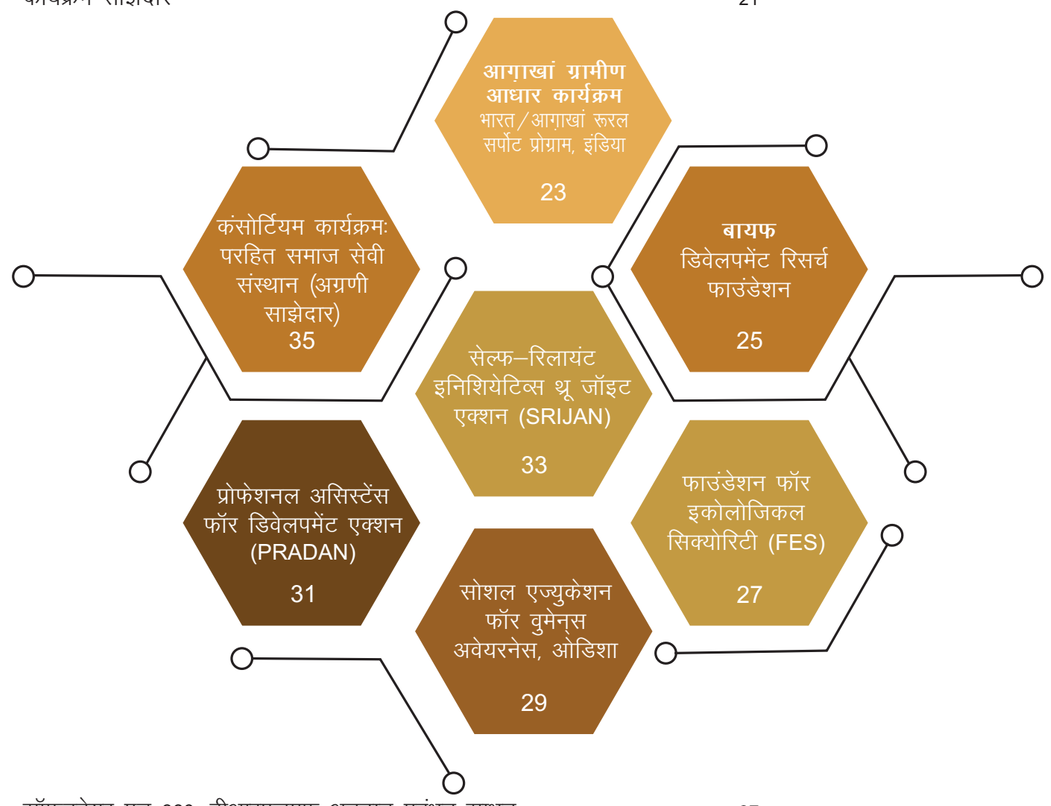

सॉफ्टवेयर एड 360–बीआरएलएफ अनुदान प्रबंधन साधन	37
ग्रामीण व्यवसायियों के कैडर का क्षमतावर्धन	39
बीआरएलएफ के आयोजन	40
तालिका 1: पंजीयन प्रपत्र	41
तालिका 2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अनुबंधपत्र	42
तालिका 3: अनुच्छेद 12ए	48
तालिका 4: 80जी प्रपत्र	49
तालिका 5: खाता अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश (2014–2015)	50

अध्यक्ष का संदेश

मेरे विचार में सिविल सोसाइटी व शासन के बीच आपसी तालमेल व समरसता का भाव पैदा करने की दिशा में भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) एक अनूठे उदाहरण के रूप में उभरा है। बीआरएलएफ का काम इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से ये दोनों पक्ष एक मजबूत साझेदारी और एक जुट होकर साथ कार्य कर सकते हैं।

इस साझेदारी ने सिविल सोसाइटी संगठनों को ऐसी जगह प्रदान की है जहां उनके अच्छे कार्यों के प्रभावों को व्यापक स्तर पर ले जा सके। साथ ही इसने शासन को सिविल सोसायटी के नवीन एवं उल्लेखनीय कार्यों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया है ताकि गरीबी उन्मूलन हेतु प्रमुख कार्यक्रमों में उपलब्ध कराए जा रहे विशाल संसाधनों का अधिक से अधिक प्रभाव जमीन पर दिखे।

बीआरएलएफ के कार्य मध्य भारत के अत्याधिक पिछड़े आदिवासी इलाकों में केंद्रित है, जहां शासन की पहुंच सब से कमजोर है। इस क्षेत्र में दस राज्य शामिल है (गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना) बीआरएलएफ का उद्देश्य इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यकमों को सुदृढ करना तथा शासन व विकास की कमियों को दूर करना है।

बीआरएलएफ की स्थापना यूनियन केबिनेट द्वारा 3 सितंबर 2013 को लिये गए निर्णय द्वारा एक स्वतंत्र संरचना के रूप में की गई थी। बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति में भारत शासन के ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज व आदिम जाति विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रमुख भूमिका में हैं। नौ राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव व प्रधान सचिव बीआरएलएफ की सामान्य समिती के सदस्य हैं। साथ ही कॉरपोरेट क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, पीएसयू व सिविल सोसायटी संस्थान बीआरएलएफ की सामान्य समिती व कार्यकारी समिती में शामिल हैं।

परियोजनाओं के चयन व अनुमोदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम रखने के लिये बीआरएलएफ ने आदि से अंत तक संपूर्ण प्रबंधन आधारित कार्य संपादन हेतु टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस के सॉफ्टवेयर ऐड 360 को विकसित किया है। इस पारदर्शी व्यवस्था में परिणाम आधारित कार्य तंत्र के आधार पर कार्यक्रम का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि यह व्यवस्थाओं के प्रबंधन व मूल्यांकन व निरीक्षण हेतु एक शक्तिशाली माध्यम बन सके।

बीआरएलएफ के कार्यक्रमों मे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई प्रमुख योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना व सुरक्षा बीमा योजना को अनिवार्य रुप से सम्मिलित किया गया है। बीआरएलएफ के सभी साझेदार संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी सहभागी परिवारों को उक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

भारत में जल संकट, विशेषकर कृषि व भूजल की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, बीआरएलएफ ने अन्य वित पोषक संस्थाओं व तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी की है जो कि भारत में सहभागी भूजल प्रबंधन पर विभिन्न भौगौलिक परिस्थितिओं में पायलेट कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं ताकि विभिन्न स्थितियों में प्रयोग व प्रदर्शन प्रमाणित कर उस से लाभ लिया जा सके।

बीआरएलएफ इस बात पर विशेष प्रयास करता है कि, किसानों को गैर रासायनिक कृषि की ओर प्रेरित किया जाए। इस उद्देश्य के समन्वयन में आवश्यक सभी तकनीकी सहायता वह अपने साझेदारों के लिये मुहैया कराने हेतु कार्यरत है। लघु वन उपज के व्यापार का लाभ अधिक से अधिक आदिवासी समुदाय को मिले ऐसे कार्यक्रमों पर बीआरएलएफ विशेश ध्यान देगी।

पंचायती राज संस्थाओं, पेसा व एफआरए के सशक्तिकरण, कृषक उत्पादक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना, सौर उर्जा को प्रोत्साहन देना व समुदाय आधारित संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी बीआरएलएफ का फोकस रहेगा ।

बीआरएलएफ का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ववत व आगत् ग्रामीण व्यवसायियों का क्षमतावर्धन है जो कि शासकीय विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं या समुदाय आधारित संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण समुदायों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु, बीआरएलएफ ने भारत शासन के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री एस.एम. विजयानंद की अध्यक्षता में एक संचालन समिती का गठन किया है। इस संदर्भ में बीआरएलएफ व केंद्रिय विश्वविद्यालय गुजरात, के बीच एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अंर्तगत क्षमतावर्धन का कार्य जमीन से जुड़ी उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस बात पर ज़ोर दिया गया व राज्य शासन के प्रतिनिधियों के द्वारा सुझाया गया है कि, बीआरएलएफ को एक औपचारिक अनुबंध के द्वारा राज्य शासन व समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच एक मैत्रिपूर्ण संबंध का समन्वय करना चाहिये। बीआरएलएफ राज्य शासनों के साथ इस संदर्भ में एक अनुबंध को अंतिम रूप देने के अग्रिम स्तर पर कार्यरत है।

बीआरएलएफ अनेक संस्थानों के साथ साझेदारी के निर्माण में प्रयासरत् है। बीआरएलएफ वर्तमान में टाटा ट्रस्ट (CInI) के मध्य भारत में सामूहिक समुचित आजीविका गतिविधियों के साथ साझेदारी नियोजित कर रहा है। इस साझेदारी द्वारा बीआरएलएफ को एक उच्च प्रभावी कार्यक्रम में संस्थागत साझेदारी का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें कि 10 लाख लघु कृषकों की आजीविका में वृहत सुधार का उद्देश्य रखा गया है, विशेष कर वर्षा सिंचित आधारित क्षेत्रों में जहां समुदाय आधारित संस्थाओं के अलावा अनेक स्टेक होल्डर सभी शामिल होंगे।

पहले चरण में कार्यक्रम का उद्देश्य 50 ब्लॉक में अपनी पहुंच बनाना है तथा अनुमानित परिणामों में सक्रिय ग्रामों का समन्वय, शिक्षा में चरण बद्ध निवेश के द्वारा उन्नत गुणवत्ता के साथ जीवन जीने, स्वास्थ्य, पेयजल व स्वच्छता एवं 3 लाख किसानों की गरीबी से स्थायी मुक्ति को सुनिश्चित करना है।

बीआरएलएफ की कार्यकारी समिती के कई सदस्यों द्वारा उत्तरीपूर्वी राज्यों जहां आदिवासी समुदायों की एक विशाल जनसंख्या निवास करती है में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है। मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने बीआरएलएफ को अपनी साझेदारी में रूचि दिखाते हुए पत्र भी प्रेषित किया हैं। बीआरएलएफ की ओर से एक प्रतिनिधि समूह इन राज्यों में दौरा करने जा रही है जिसमें कि बीआरएलएफ व राज्यों के बीच साझेदारी के निर्माण को लेकर रूपात्मक चर्चा की जाएगी।

बीआरएलएफ अभी अपने आरंभिक स्तर पर उदित हुआ है। मैं टीम बीआरएलएफ को इस असाधारण प्रगति को इतने कम समय में प्राप्त करने के लिये बधाई देता हूं। साथ ही मैं बीआरएलएफ की सामान्य समिती व कार्यकारी समिती के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हर मौके पर मार्गदर्शन दिया है। अंत में, मैं भारत शासन के ग्रामीण विकास मंत्रालय व सभी राज्य शासनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने सतत् प्रोत्साहन से बीआरएलएफ द्वारा किये जा रहे कार्यों को अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

डॉ. मिहिर शाह

बीआरएलएफ के बारे में

भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की स्थापना भारत शासन द्वारा एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में भारत शासन की साझेदारी में सिविल सोसाइटी की गतिविधियों के विकास हेतु की गई है। यह एक स्वयत्त संरचना है जो की सोसाइटी पंजीयन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है।

बीआरएलएफ को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पैरा 111 में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें यह कहा गया, ''यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन की स्थापना आजीविका के द्वारा की जाए। यह फाउंडेशन सिविल सोसाइटी की गतिविधियों का विकास व उनके विकास में सहयोग करेगा तथा विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों के 170 जिलों में कार्य करेगा। निजी ट्रस्ट व मानवीय विषयों पर कार्यरत संस्थाओं को इस स्वायत्त संरचना के साथ जुड़कर कार्य करने व व्यवसायिक प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।'' उक्त उद्घोषणा के उपरांत यूनियन केबिनेट की दिनांक 3 सितंबर 2013 में हुई बैठक में यह तय हुआ कि एक स्वतंत्र संरचना की स्थापना की जाएगी व शासन की साझेदारी में सिविल सोसाइटी की गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। केबिनेट ने मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय व विकास कार्यक्रमों की असफलता पर अपना बोध जताया और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के क्षमतावर्धन, इन क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों में उच्च गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन, व आदिवासी समुदायों में शासकीय संरचनाओं व भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास के निर्माण करने की आवश्यकताओं पर अपनी सहमति दी।

13 जनवरी 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय व बीआरएलएफ के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया है कि भारत शासन बीआरएलएफ को 500 करोड रूपये कॉर्पस निधि के तौर पर अनुमोदित करेगा यह राशि दो किश्तों में वित्तीय व्यय समिति की अनुशंषा द्वारा जारी की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित राज्य शासन व अन्य मानवीय सामाजिक फाउंडेशनों द्वारा भी वित्तीय सहायता एकत्रित की जाएगी।

शासन की साझेदारी में सिविल सोसाइटी के विकास की गतिविधियों को पोषित व समायोजित करने हेतु बीआरएलएफ की स्थापना की गई है, फाउंडेशन आरंभिक चरण में मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को संचालित करेगा।फाउंडेशन का उद्देश्य ज़मीनीस्तर पर संचालित कार्यक्रमों को सहयोग करना है जिससे लोगों खासकर आदिवासी समुदाय का सशक्तीकरण किया जा सके एवं नवीन कार्यक्रम एवं रणनीतियों को बढावा दिया जा सके। अमुख नवीन कार्य तकनीकी, सामाजिक लामबंदी, संस्थागत निर्माण, साझेदारी निर्माण, प्रबंधन तकनीकी आदि जैसे बहुउद्देशिय दिशाओं में हो सकते हैं।

नीतिगत स्तर पर, बीआरएलएफ द्वारा पोषित प्रत्येक कार्यक्रम,इस बात का प्रयास करेगा कि वह बैंक व शासन की विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास व आजीविका कार्यक्रमों व योजनाओं से अधिकसंसाधन प्राप्त करे। यह तय किया गया है कि बीआरएलएफ ऐसे कार्यक्रमों को मुख्यतौर पर मदद करेगा जिन्हें पहले से ही शासकीय अनुदान प्राप्त हैं।

बीआरएलएफ की प्रारंभिक प्राथमिकता मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्रों, जो कि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात के ऐसे 190 जिलों के 1077 ब्लॉक जनपद/तहसील/ताल्लुका/मंडल जिनमें कि 20 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या निवास करती हो को दी जाएगी।

बीआरएलएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनेक्जर 1
बीआरएलएफ एवं ग्रामीण मंत्रालय के बीच एमओयू अनेक्जर 2
बीआरएलएफ के समस्त क्षेत्र एवं ब्लॉक की जानकारी जानने के लिए कृपया बीआरएलएफ की वेबसाइट www.brlf.in का संदर्भ लें।

महिलाओं द्वारा सब्जी उत्पादन, तपनखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्व वित्त टी.एस.आर
श्रेय: राजीव राउल

प्रस्तावना

यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि शासन एवं सिविल सोसाइटी की साझेदारी में ही जमीनी स्तर पर सम्मिलित विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बीआरएलएफ के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं।

शासन के साथ समायोजन करते हुए सिविल सोसाइटी गतिविधियों को आजीविका व ग्रामीण परिवारों के जीवनयापन हेतु ऐसा समन्वयन करना जो कि विशेष रूप से महिलाओं ख़ासकर मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित हो।

सिविल सोसाइटी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान मुहैया कराना ताकि वे अपने मानव संसाधनों व संस्थागत खर्चों को पूरा कर पाएं व संस्थागत अनुदान देना जिससे कि वे विकास कार्यों को पूरा कर पाएं। साथ ही छोटे सिविल सोसाइटी संस्थाओं को संस्थागत स्तर पर मजबूत करना, उनका क्षमतावर्धन करना तथा ज़मीनीस्तर पर कार्य करने हेतु उनमें व्यवसायिक मानव संसाधनों का विकास करना।

बीआरएलएफ अपने प्रमुख उद्देश्यों को अग्रलिखित तीन स्तंभों में प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है।

बीआरएलएफ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक अनिवार्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों में विशेषकर महिलाओं के लिये स्वचलित आजीविका के उपायों को बढावा देना जिससे कि उनका समाज में सम्मान व स्थान व संसाधनों पर आदिवासी समुदायों विशेषकर महिलाओं का नियंत्रण व पहुंच बढे, प्राकृतिक संसाधनों की वहन क्षमता में वृद्धि हो, उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी प्रबंधन व स्वशासित संस्थाओं, मजबूत और चलित सेवारत व्यवस्था व सही सेवा मापदंड, युवाओं के लिये नए मौके विकसित करना प्रमुख उद्देश्य है।

बीआरएलएफ के साथ कोई संस्था साझेदारी में शामिल होती हैं तो, कार्यक्रमों की लागत व परिणामों के बीच के फर्क़ को मिटाने का एक तरीका यह भी होगा कि ज़मीनीस्तर पर कार्यरत स्वशासित लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत बनाया जाए, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, खामियों को मिटाया जाए, संघर्षरत क्षेत्रों में विकास व शांति के नवीन व अनोखे प्रयास किये जाएं। बीआरएलएफ द्वारा अनुदान सहयोग व क्षमतावर्धन दोनों ही गतिविधियों के द्वारा इस दिशा में कार्य किया जाता है।

बीआरएलएफ अपनी साझेदारी और जुडाव के साथ सम्मिलित रूप से मिलकर कार्य करने और मदद करने, सामाजिक व प्राकृतिक परिवेश को संरक्षित व संजीवित करने व सांस्कृतिक व सामाजिक धरोहर को संरक्षित व संजीवन के प्रोत्साहन हेतु प्रयासरत् है। इनमें दस्तावेजों का संग्रहण, जिनमें ऑडियो, मौखिक, लिखित, दृश्य श्रृव्य, ऑनलाइन तथा रंगमंच माध्यमों के प्रचार प्रसार आदि भी शामिल हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रकाशन, प्रति प्रकाशन, किताबों का प्रयोजन व प्रसार, नीतिगत दस्तावेज, नवीन विचारों पर प्रकाशित तत्कालीन प्रकाशन, पर्चे, विज्ञप्ति व अखबार आदि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रस्तुति, सेमिनार, परिचर्चा, गोष्ठि, प्रर्दशनी आदि समान गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। बीआरएलएफ की परिकल्पना है कि आने वाले समय में शोध व ज्ञान केंद्र के रूप में बीआरएलएफ को राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान व सूचना मंच मिले जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधन विकास प्रबंधन व ग्रामीण समुदायों हेतु आजीविका के विषय पर आवश्यक सूचना व सहयोग किया जा सके।

कार्य के अंतर्गत सभी जुडे हुए उदेश्यों की पूर्ति एवं समन्वयन हेतु बीआरएलएफ वित्तीय सहायता, क्षमतावर्धन, शोध व ज्ञान केंद्र के निर्माण आदि की दिशा में सिविल सोसाइटी संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं/निर्वाचित/कार्यकालीन अधिकारियों/संबंधित विभागों व प्रोत्साहित साझेदारी/स्टेकहोल्डरों के बीच सहयोगी मॉडल आदि के साथ संस्थागत मज़बूती के लिये कार्यक्रम भी संचालित करता है।

इस संदर्भ में बीआरएलएफ इस बात को केंद्र में रखता है कि उन सिविल सोसाइटी संस्थाओं व कार्यक्षेत्र की अन्य संस्थाओं को

वित्तीय व निरीक्षक सहायता मुहैया कराए जो कि विकास या प्रभावशाली कार्य प्रदर्शन के बावजूद चुनौतियों के समय बिना सहयोग के उपेक्षित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, बीआरएलएफ के द्वारा सहयोग प्राप्त सिविल सोसाइटी के विकास कार्यों के एवज में मानव संसाधन व संस्थागत व्यय हेतु अनुदान दिया जाता है। इस संदर्भ में पोषित संस्था के लिये यह आवश्यक होता है कि वे उक्त कार्यक्रम के कुल खर्च का एक भाग स्वयं या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त करे। परियोजना प्रबंधन पर खर्च किये जाने वाले अनुदान के एक भाग पर एक तरह का आवरण लगाया जाएगा, जो कि व्यवसायिक वेतनमान के अलावा होगा। इस आवरण को बीआरएलएफ द्वारा क्षमतावर्धन गतिविधियों द्वारा पूरित किया जाएगा जिसमें कि समानांतर रूप से विकास विशेषज्ञों के एक दल का निर्माण किया जाएगा जो कि शासन, सिविल सोसायटी व समुदाय के द्वारा क्षमतावर्धन गतिविधियों को आरंभ किया जाएगा।

बीआरएलएफ अपनी क्षमतावर्धन की गतिविधियों द्वारा सिविल सोसाइटी संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं व पंचायती राज संस्थाओं के संस्थागत नेटवर्क व मानव संसाधन के स्त्रोतों को आवश्यक ढांचागत व्यवस्थाओं/मंच द्वारा मजबूती के साथ प्रोत्साहित करता है। इसलिये बीआरएलएफ की समस्त पहुंच विकास गतिविधियों का एक समुचित मॉडल है जो कि स्वशासी संस्थाओं व सामुदायिक संस्थाओं की समुचित विकास की रणनीति पर आधारित है।

बीआरएलएफ अपने ढांचे और समुचित उपागम के नवीन मॉडल के द्वारा राज्य व सिविल सोसाइटी की साझेदारी को प्रोत्साहित करता है जिससे लोगों का स्थायी, समुदाय आधारित संस्थानों के द्वारा सशक्तिकरण किया जा सके। विभिन्न समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ अभिकल्पित इस कार्यक्रम के अनुरूप बीआरएलएफ मौजूदा प्रणालीगत, ज्ञान व नीतिगत अंतर को संबोधित करते हुए क्रियान्वय नीतियों व ज्ञान/जानकारियों को सतत् सहायता देते हुए, तथा फीडबैक प्रणाली को संतुलित करता चलता है जो कि साझेदारों/पार्टनर संस्थाओं को और समांनांतर स्तर पर संबंधित समुदाय को भी प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये सशक्त बनाता है। बीआरएलएफ इस बात को अनिवार्य मानता है कि अपने साझेदारों के साथ प्रासंगिक विषयों पर नवीन पायलेट कार्यक्रमों पर नीति को वित्तीय व ज्ञान दोनों ही स्तर पर मदद करते हुए इस नवीन नीति को पूरी तरह अमल किया जाए।

सहभागी ग्रामीण क्रियाएं, पूर्व वित्त मूल्यांकन, प्रसारी संस्था चित्र श्रेयः राजीव राउल

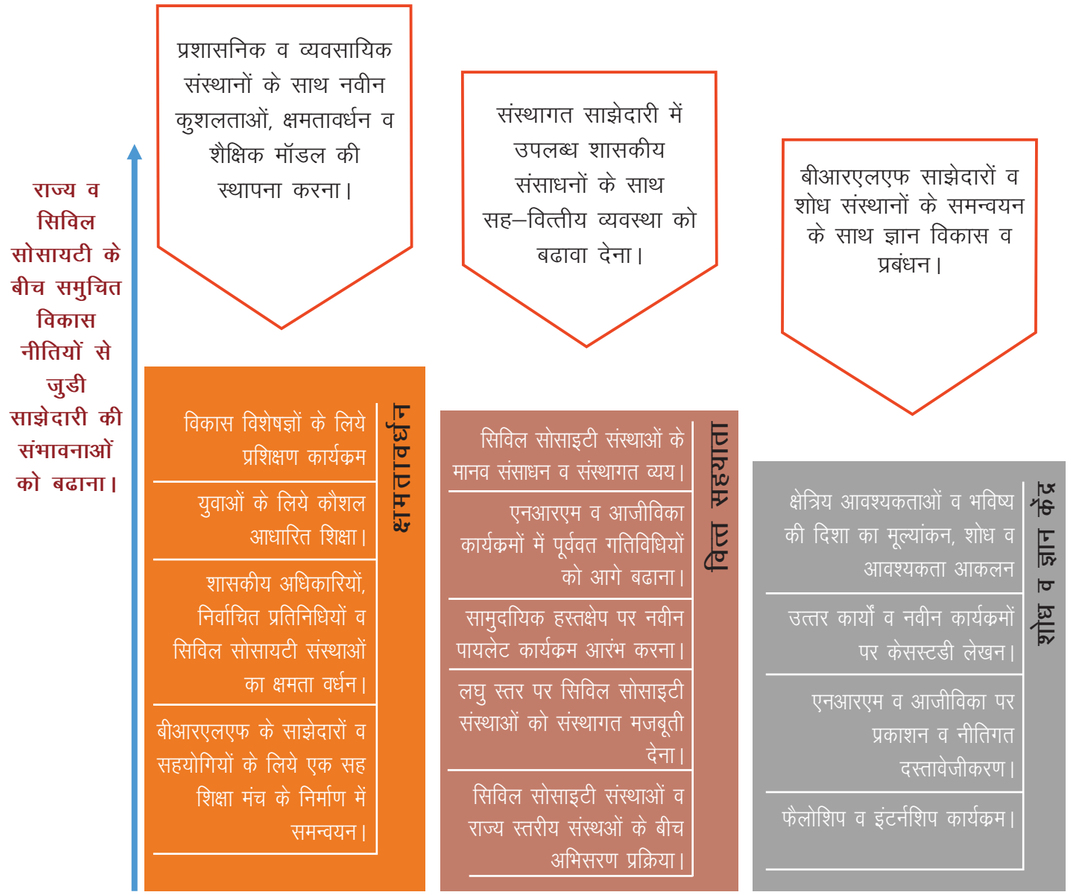

चित्र 1 : बीआरएलएफ के प्रमुख स्तंभ व कार्यक्रम

उपरोक्तानुसार दिये गए अनिवार्य बिंदुओं को प्राप्त करने के लिये बीआरएलएफ इस बात का विमर्श प्रस्तुत करता है कि उचित माध्यमों से संसाधनों की बढोत्तरी की जाए ताकी उक्त उद्देश्यों का वित्तीय परिचालन सही प्रकार से हो सके। यह उचित माध्यम बैंक जैसे नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कॉरपोरेट सेक्टर/सीएसआर, मानव–सामाजिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पोषक संस्थाएं व परोपकारी संस्थाएं हो,सकती हैं। संसाधनों को एकत्र करते समय सभी शासकीय निकासी व अनुमति से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

बीआरएलएफ ने ज़मीनीस्तर के उन कार्यक्रमों की मदद करने में पहल की है जिन्हें शासन व बैंक की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधन दिया जाना तय हुआ है। बीआरएलएफ ऐसे परियोजनाओं को सहयोग करेगा जो कि तत्कालीन शासकीय कार्यक्रमों व बैंक के द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिये सहायता लेना चाहते हैं, ताकि वे प्रमुख शासकीय कार्यक्रमों को परिचालन में अपने नए विचार के द्वारा सुधार और उन्नति ला सकें।

यह सही है कि बीआरएलएफ जिन कार्यक्रमों को सहयोग करेगा उनमें प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम पोषण / वित्तीय सहायता शामिल नहीं होगी, फिर भी बीआरएलएफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिसके द्वारा वह उक्त कार्यक्रमों का समन्वयन तंत्र का विकास, राज्य शासन व क्षेत्र के अन्य संबंधित संस्थानों के साथ एमओयू तय कराने के द्वारा उत्प्रेरणा व कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।विषयगत अंर्तवस्तुओं व चित्र क्रमांक 2 में दिये गए विषयवस्तु बीआरएलएफ के कार्यक्रमों में मुख्य रुप से शामिल होंगे व बीआरएलएफ इन मुद्दों पर सहयोग प्रदान करेगा। वे कार्यक्रम जिनमें विषयगत मुद्दे सबसे ज्यादा परिलक्षित होंगे उन्हें बीआरएलएफ द्वारा प्राथमिक तौर पर सहयोग किया जाएगा।

बीआरएलएफ के कार्यों में विषयगत केंद्र

वॉटरशेड प्रबंधन	स्थायी योजना, प्रबंधन, जलस्त्रोतों का बंटवारा	परिणाम
सामुदायिक संपंति संसाधन(सीपीआर)	भूजल प्रबंधन वानिकी प्रबंधन सहभागी सिंचाई प्रबंधन	सम्मान के साथ स्थायी आजिविका
स्थायी आजीविका	बेहतर कृषि डेयरी मतस्यपालन वानिकी आदि	संसाधनों पर अधिक नियंत्रण
मूल्य आधारित विकास	कृषि/बागवानी/पशुपालन व अन्य संबंधित क्षेत्र। लघु वन उपज व कृषि जैविकी	संसाधन वहन की अधिक क्षमता
कौशल विकास	सज्जित ग्रामीण व्यवसायिक शिक्षित व प्रशिक्षित पंचायती राज प्रतिनिधि व शासकीय अधिकारी। सिविल सोसाइटी व समुदाय आधारित संस्थाओं की बेहतर सहभागिता के लिये कौशल प्रशिक्षण।	
समुचित आवास विकास	निवास पेयजल स्वच्छता ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन	ज़िम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रबंधन व स्वशासी संस्थाएं।
भोजन व पोषण	स्थायी कृषि उपयुक्त तकनीक। कीटनाशक एवं रासानियक मुक्त कृषि एवं श्री धान विधि। कृषि में मौसम परिवर्तन प्रतिरोध निर्माण खाद्य सुरक्षा व पोषण	शासकीय कार्यकमों का बेहतर प्रदर्शन
स्थानिय संस्थाओं का निर्माण	सिविल सोसायटी संस्थाओं में आदिवासी व महिला नेतृत्व को बढाना। सशक्त व जानकारी से ओतप्रोत पंचायती राज प्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी। समुदाय द्वारा अधिकारित संस्थान।	मजबूत, अचल व सहभागी समुदाय आधारित संस्थाएं।
स्टेकहोल्डरों का क्षमता वर्धन	आधुनिक शिक्षाशास्त्र द्वारा चलित शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण का परिचय/स्वीकृति उचित साधनों की लामबंदी, उपलब्धता व पहुंच के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला का संस्थागत नेटवर्क	
अधिकार/विकास कार्यकम	सामाजिक लामबंदी जनचेतना विकास	
ज्ञानवर्धन/विकास	मूल्यांकन, शोध, प्रभाव अध्ययन, आवश्यकता आकलन, नीतिगत शोध व ज्ञान साधन क्षेत्रिय ज्ञान केंद्र – आजीविका, स्थायीत्व व एनआरएम।	

चित्र 2: बीआरएलएफ के कार्यों का विषयगत विवरण

बीआरएलएफ के कार्यों का भौगौलिक केंद्र

बीआरएलएफ का प्रारंभिक फोकस मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्र पर होगा जो कि मुख्य रूप से ऐसे जिलों पर केंद्रित होगा जहां 20 प्रतिशत से अधिक आदिवासी समुदायों का निवास हो। इनमें उडिसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात के 1077 उप जिले या जनपद तथा 190 जिले शामिल हैं।

आरंभिक फोकस जनपद/उपजिलों पर किया जाएगा क्योंकि भारत में आदिवासी समुदायों का निवास जिला स्तर से अधिक जनपद स्तर पर अधिक है। इस दिशा में विकास व शासकीय प्रक्रिया को मिलाकर व उसके लाभ को प्राप्त करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि जनपद स्तर पर फोकस किया जाए।

पत्ता गोभी की खेती, माध्यपूर गांव, जिला किर्जांर, उडीसा, पी.एफ.ए सृष्टि सीनी श्रेय वृत्ति

मोखड़ खंड के चिदबोह गांव में आदिवासी समुदाय को जैविक बागवानी का प्रशिक्षण, सृजन समूहः श्रेय श्री मौहम्मद जाइंद

उन्नत कृशि यंत्र द्वारा मूंगफली की खेती, फसल पोशण पर श्रेय पुरलिया — श्रेय प्रधान

साझेदारः प्रदान, एफइएस, सृजन, बायफ
जिलेः सिरोही, भासवारा, उदयपुर, पाली

साझेदारः आगाखां रूरल सपोर्ट संस्थान, बायफ, परहित संस्थान, सृजन संस्थान, एफइएस, प्रदान

जिले : बडवानी, धार, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, शेओपुर, गुना, शिवपुरी, बालाघाट, सिंगरौली, मंडला, शहडोल, छिंदवाडा और अनूपपुर

साझेदारः प्रदान, सृजन
जिलेः धामतरी, उत्तर बस्तर कांकेर, बस्तर, रायगढ, कोरिया

साझेदारः बायफ, प्रदान

जिलेः कुंठी, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, डुमका, हजारीबाग, लोहराडागा, बोकारो, रामगढ

साझेदारः प्रदान

जिले : बंकुरा, पाली, पश्चिमी मीदनापूर

साझेदारः सृजन, प्रदान, सेवा, एफइएस

जिलेः झारसुगुडा, संबलपुर, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापट्ट, रायगढ, अंगुल

साझेदारः बीएआईएफ, सृजन, एफइएस

जिलेः गड़चिरौली, नंदूरबार, गोंडीया, यवतमल

साझेदारः एकेआरएसपीआई, बीएआईएफ, एफइएस

जिलेः डांग, व्यारा, तापी, नवसारी, सूरत, वल्साद, महीसागर

बीआरएलएफ स्वशासन

बीआरएलएफ की जनरल बॉडी व कार्यकारी समिति में केंद्र व राज्य शासन के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सोसाइटी व कॉरपोरेट क्षेत्र, आर्थिक संस्थानों, जनसेवा क्षेत्र व मानवीय फाउंडेशनों के प्रमाणित अनुभवी, प्रतिबद्ध व बीआरएलएफ के उद्देश्यों से इत्तेफाक रखने वाले सदस्य हैं।

बीआरएलएफ के स्वशासी ढांचे द्वारा भारत भर में राज्य शासन के साथ एक सफल साझेदारी का सफल उदाहरण रखा जाएगा। कार्यक्रम एवं कार्यकारी संस्था के चयन की प्रकिया में राज्य का शामिल होना बहुत आवश्यक है। सभी संबंधित राज्य शासनों के सदस्य प्रोजेक्ट ग्रांट सिलेक्शन कमेटी, पीजीएससी के सदस्य हैं व उन्होंने वर्ष 2014 में 18–19 दिसंबर में हुई पहली कार्यकारी समिति की बैठक में भाग भी लिया था। सभी राज्य प्रतिनिधि बहुत उत्सुक हैं कि बीआरएलएफ और उनके बीच एक समन्यवन और सहयोगी व्यवस्था की स्थापना हो, सभी राज्यों के साथ औपचारिक समझौता जल्द ही तय होने वाला है।

बीआरएलएफ ने तीव्रता से अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया है, इसके अंर्तगत अपनी शासकीय व्यवस्थाएं सक्षम टीम का चयन, नीतियों एवं प्रभारी व्यवस्थाओं को स्थापित कर चुका है। वर्तमान में इस व्यवस्था के आवश्यक कार्य आरंभ हो चुके हैं। एक अंतरिम अनुमोदन के द्वारा बीआरएलएफ को भारत शासन की ओर से 5 जनवरी 2015 को जारी किये गए आदेश के अनुसार आवश्यक व्यय करने हेतु GFR को लागू किया गया है। बीआरएलएफ के वित्तीय प्रबंध मैनुअल को भी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है व कार्यकालीन आदेश जारी होना बाकी है। शेष सभी अनुमोदन सफलता के साथ प्रकिया में आ चुके हैं तथा अनुदान के साथ जमीनी स्तर पर कार्य भी आरंभ हो चुका है।

बीआरएलएफ व ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता पारित हुआ है जिसमें निजी मानवीय संस्थानों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सामाजिक व सहकारी जवाबदेही के प्रभाग के साथ एक सक्रिय साझेदारी जारी की जा रही है, साथ ही अन्य स्टेकहोल्डर समूह संसाधनों को एकत्र कर सिविल सोसाइटी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे सफल एवं प्रमाणित विकास कार्यक्रमों को बढाने व सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

बीआरएलएफ ने पूरी सफलता के साथ अपनी मूलभूत नीतियों का निर्माण किया है जिसमें वित्तीय अनुदान की स्वीकृति और निरिक्षण व्यवस्था के साथ मानव संसाधन नीतियां शामिल हैं। एक लघु कार्यकारी समिति संघटित की गई है जिसमें कार्यक्रम व पात्र संस्थाओं का चयन किया जाएगा। नियमानुसार कार्यक्रम व पात्र संस्थाओं की चयनकर्ता समीति ने नियमों व वित्तीय अनुदान देयक नीतियों में विभाजित किया गया है। बीआरएलएफ ने आवेदनों के अनुदान पूर्व मूल्यांकन हेतु एक मजबूत व्यवस्था को स्थापित किया है। इस संदर्भ में पहली बैठक दिनांक 18 व 19 दिसंबर वर्ष 2014 में संपन्न हुई जिसमें सात परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उक्त सात कार्यक्रमों का विवरण आगे दिया गया है।

कार्यक्रमों के अनुमोदन में पूर्ण पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये बीआरएलएफ ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस की सेवाएं प्राप्त की जिसमें सूचना तकनीक द्वारा निर्मित सूचना व प्रबंधन व्यवस्था पर आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें एक सरल व सक्षम प्रक्रिया के द्वारा कार्यक्रमों की स्थिति व प्रक्रिया को ऑनलाइन देखा व उपयोग किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर अपने आप में एक अनूठा व सक्षम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा दृष्टिगत भारतीय पारदर्शी स्वशासन में पारदर्शी ई–निविदा के लिये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

सॉफ्टवेयर–एड 360 के द्वारा पात्र संस्थाओं के चयन से लेकर बीआरएलएफ द्वारा सहयोग किये जा रहे कार्यक्रमों के प्रत्येक गतिविधियों की एक पारदर्शी देखरेख व निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है। पंजीकृत साझेदार अब सीधे ऑनलाईन बीआरएलएफ की वेबसाइट पर जाकर अपने परियोजना जमा कर अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीआरएलएफ अपनी पारदर्शी व तत्पर प्रणाली के साथ व्यापक मूल्यांकन गतिविधियां आयोजित कर सकता है।

बीआरएलएफ ने अपनी वेबसाइट www.brlf.in शुरु की है। जिसमें बीआरएलएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्शाई गई है।

चित्र 3: बीआरएलएफ की संस्थागत व्यवस्था

बीआरएलएफ टीम, बैठे हुए, बाएं से, श्री रवि प्रकाष, श्री जुल्फीकार हैदर, श्री षरद भार्गवा, श्री कुलदीप सिंह, खडे हुए, बाएं से दांए, कुमारी वृति साहनी, श्री राजीव कुमार, राउल, डा. अरूणा पाडे, कुमारी षिप्रा भाटिया, श्री सुषील पाल, श्री पोलुष.

25 मार्च वर्ष 2015 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति द्वारा मानव संसाधन नीतियों को अनुमोदित किया गया।जिसमें कर्मचारियों के लाभ व मानदेय, कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि मानव संसाधन से जुडी विस्तृत प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। मानव संसाधन नीति में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के निषेध पर एक स्पष्ट नीति भी शामिल है। इस संदर्भ में कार्यकारी समिति द्वारा एक शिकायत समिति भी स्थापित व अनुमोदित की गई है। इस बारे में पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से मानव संसाधन नीति में आलेखित की गई है तथा बीआरएलएफ द्वारा इसके कोर टीम के सदस्यों का निर्वाचन भी कर दिया गया है। कार्यकारी समिति के द्वारा बीआरएलएफ ने एक इंटर्नशिप व फैलोशिप नीति पर भी कार्य आरंभ किया है।कार्यकारी समिति द्वारा एक लघु समिति का गठन किया गया है जो कि इसकी प्रक्रिया की देखरेख व बीआरएलएफ की कोर समिति, उसके संरचना व ढांचे के संदर्भ में मार्गदर्शन देती रहेगी। इंटर्नशीप, फैलोशिप व संस्थागत साझेदारी की नीतियों पर अध्ययन करना व, इसके द्वारा साझेदारों के प्रमुख कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन व उसके दस्तावेजीकरण आदि को किया जाना है ताकि, इस बारे में शासन को अवगत कराया जा सके। इस बारे में प्रपत्र विकसित किया जा चुका है व वर्तमान में इसकी समीक्षा की जा रही है।

बीआरएलएफ की प्रथम साधारण सभा की बैठक 4 अप्रेल 2014 को योजना आयोग, नई दिल्ली के कक्ष क्रमांक 122 में आयोजित की गई थी। कार्यकारी समिति द्वारा इस बैठक में नियमानुसार वित्तीय व अंकेक्षण समिति का गठन किया गया। इसके अलावा बाह्य अंकेक्षण हेतु सीएजी पैनल में सम्मिलित अंकेक्षण फर्म को नियुक्त किया गया।इस बैठक के दौरान कार्यकारी समिति ने बीआरएलएफ कार्पस प्रबंधन नीति पर अपना निर्णय लिया। कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार कार्पस निधि को एक बैंक में नियत खाते में जमा किया गया ताकि किसी प्रकार के निवेश के जोखिम से बचा जा सके।

बीआरएलएफ के कार्यों को अंतिम रूप देने हेतु कार्यकारी समिति की दो परवर्ती बैठकें 19 दिसंबर 2014 व 25 मार्च 2015 को संपन्न हुईं।बीआरएलएफ ने अनिवार्य वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली है, जिसमें इनकमटैक्स एक्ट के अंतर्गत पंजीयन की धारा 12ए व 80जी सर्टीफिकेट शामिल है।

बीआरएलएफ के द्वारा भारत शासन की ओर से कार्पस निधि प्राप्त करने, अन्य पोषक संस्थाओं की और से तथा एफसीआरए के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु चार भिन्न खाते खोले गए हैं। इन खातों का विवरण निम्न तालिका में दी गई है।

भारत सरकार की ओर से प्राप्त कॉरपस निधि

खाते का नाम : **भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन**
खाता क्रमांक : 000394600000384
खाता प्रकार : बचत
बैंक का नाम : येस बैंक लिमिटेड
प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग
नई दिल्ली – 110021

एफसीआरए रजिस्ट्रेशन

खाते का नाम : **भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन**
खाता क्रमांक : 000393900000039
खाता प्रकार : बचत
बैंक का नाम : येस बैंक लिमिटेड
प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग
नई दिल्ली – 110021

अन्य पोषक संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु

खाते का नाम : **भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन**
खाता क्रमांक : 000394600000391
खाता प्रकार : बचत
बैंक का नाम : येस बैंक लिमिटेड
प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग
नई दिल्ली – 110021

संस्थागत विकास व साझेदारी हेतु टाटा ट्रस्ट एंडोवमेंट फंड प्राप्त करने हेतु

खाते का नाम : **भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन**
खाता क्रमांक : 000394600000443
खाता प्रकार : बचत
बैंक का नाम : येस बैंक लिमिटेड
प्लॉट नंबर – 11/46 शॉपिंग सेंटर
डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालछा मार्ग
नई दिल्ली – 110021

पारदर्शिता व जवाबदेही

पारदर्शिता व जवाबदेही के उच्च मापदंड स्थापित करने के लिये बीआरएलएफ ने अपने लेखा कार्यों व गतिविधियों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट व ऑडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित किया है। बीआरएलएफ द्वारा विकसित एड 360 अनुदान प्रबंधन सॉफ्टवेयर इस बात की सुविधा प्रदान करता है कि संबंधित स्टेकहोल्डर बीआरएलएफ द्वारा आवेदित/अनुमोदित कार्यक्रम के परिणामों का निरीक्षण कर सके। इस साफ्टवेयर के द्वारा बीआरएलएफ के साझेदार प्रत्येक कार्यक्रम /कार्य आवेदन के कार्यक्रम विकास व प्रबंधन प्रक्रिया को पूर्ण रूप देख व जांच सकते हैं। यह साफ्टवेयर बीआरएलएफ टीम को इस बात की अनुमति भी देता है कि वह प्रत्येक कार्यक्रम के परिणामों का निरीक्षण कर सके। कार्यक्रमों के किसी भी कार्य/गतिविधि में विलंब होने से यह साफ्टवेयर अपने आप सर्तकता के संकेत भेजता है जिससे कि कार्यक्रम की प्रभावशाली व गतिविधियों का समयानुसार समापन होता रहता है। सभी सम्मिलित स्टेकहोल्डर आसानी से डाउनलोड योग्य सामग्री बहुत कम समय और आसानी से डाउनलोड कर सकते है, जो कि अच्छी पहुंच और जबावदेही जैसे कारकों को सुनिश्चित करती है।

बीआरएलएफ पूरी सक्रियता व स्वैच्छा के साथ सभी संबद्ध जानकारियों को सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत मुहैया कराएगा। बीआरएलएफ इस बात के लिये भी उत्तरदायी होगा कि Comptroller and Auditor General (C&AG) of India के द्वारा उसका अंकेक्षण/ऑडिट किया जाएगा।

समुदाय के साथ योजना बैठक, चबुकमरी, नारायणपत्ना खंड, जिला कोरापुर, फच्चरी खाड, श्रेय: बिजय टोपो

गांव में षरीफा संग्रहण केन्द्र, श्रेय सृजन

आधार रेखा एवम् जरूरतों को आकलन सर्वेक्षण, समुदाय संसाधन व्यक्ति द्वारा कडाना खंड, जिला माहीसागर, श्रेय एफ.ई.एस

विश्व जल दिवस 2015 उत्सव समारोह, पंचायत समिति जाडोल, जिला उदयपुर, राजस्थान, श्रेय श्री हेमन्त

निधि / अनुदान जुटाना

बीआरएलएफ व ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच तय हुए अनुबंध के अनुसार, बीआरएलएफ को निजी योगदान या समग्र योगदान या अन्य पोषकों से वार्षिक वित्तीय अनुदान / सह वित्तीय सहायता के द्वारा 100 करोड रूपये एकत्र करने का लक्ष्य था। वर्तमान में बीआरएलएफ के लिये निधिकोष की स्थिति निम्नानुसार है:

कार्पस निधि : बीआरएलएफ को 10 करोड रूपये (5 करोड रूपये नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट व अन्य 5 करोड रूपये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट) की ओर से प्राप्त हुए हैं। अन्य 1.5 लाख डॉलर (9 करोड रूपये) फोर्ड फाउंडेशन की ओर से देना तय हुआ है, किंतु यह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

वार्षिक अनुदान : एक करोड रूपये वार्षिक अनुदान के रूप में प्राप्त किये गए हैं, जिसमें से 90 लाख यूएनडीपी की ओर से प्राप्त हुए हैं।

सह–वित्तीय सहायता बीआरएलएफ द्वारा आवेदित प्रत्येक कार्यक्रम के लिये एक महत्वपूर्ण पूर्व आपेक्षित शर्त है। बीआरएलएफ द्वारा पोषित प्रत्येक कार्यक्रम की कुल कीमत का न्यूनतम 20 प्रतिशत व्यय बीआरएलएफ के अलावा अन्य स्त्रोतों से सुनिश्चित होना चाहिये। कुल 7 परियोजना आवेदन जिन्हें बीआरएलएफ ने अनुमोदित किये हैं उनमें 65 करोड रूपये सह वित्तीय सहायता हेतु साझेदारों द्वारा सुरक्षित किये गए हैं। इनमें 25 करोड रूपये निजि स्त्रोतों से व 40 करोड रूपये विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों व शासकीय संस्थानों जैसे नाबार्ड आदि से मुहैया कराए गए हैं।

पशु टीकाकरण, जिननिया समूह, श्रेय: ए.के.आर.एस.पी

मुर्गी पालन टपन खंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व वित्त मूल्यांकन, टी.एस.आर.डी, श्रेय राजीव राउल

उन्नत कृषि यंत्र संचालन का प्रयोग एस.आर.आई खेत में, पूर्व वित्त मूल्यांकन, श्रेय राजीव राउल

दाल लुगदी बनाने का काम, लुगदी यंत्र द्वारा श्रेय : सृजन

अजोला की खेती, पूर्व वित्त मूल्यांकन, प्रसारी श्रेय राजीव राउल

श्री काशीराम टेकम, एक मेहनती किसान, मेहलारी गांव, मोखंड खंड का रहने वाला है, जो कि गड्ढे भरने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। गड्ढे भरने की क्रिया में जैविक खाद जैसे कि वर्मी कम्पोस्ट, नीम की खली, महुआ की खली और रैंडी की खली को मिट्टी में मिश्रित किया जाता है। श्रेय: श्री मौहम्मद जाईद

कार्यक्रम व गतिविधियां

बीआरएलएफ के कार्यक्रम व उनकी गतिविधियां तीन महत्वपूर्ण स्तंभों के आसपास संरचित है। 2014 व 2015 में निष्पादित किये गए मुख्य कार्यक्रम / गतिविधियां इस प्रकार हैं :

वित्तीय सहायता

बीआरएलएफ ने सिविल सोसाइटी संस्थाओं से कार्य आवेदनों को आमंत्रित किया है जिनका झुकाव शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन व विकास के साथ प्रभावशाली कार्य करने में है। बीआरएलएफ द्वारा सितंबर 2014 तक उन संस्थाओं को आमंत्रित किया जो कि शासकीय कार्यक्रमों व अनुदानों के साथ जुडकर मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं। अंतिम तिथि तक कुल 127 कार्य आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी कार्य आवेदनों पर बीआरएलएफ द्वारा आवश्यक माप व समीक्षा के आधार पर जांचा व परखा गया जिसके बाद 77 कार्य आवेदनों को अपूर्ण या मापदंडों पर पर सही नही पाया गया, 7 अब भी प्रक्रिया के अधीन हैं, 7 अनुमोदित कर दिये गए हैं तथा 22 क्षेत्र निर्धारण के विभिन्न स्तरों से गुजर रहे हैं।

निम्न तालिका 1 में प्राप्त किये गये कार्यआवेदनों की तात्कालिक स्थिति का विवरण दिया गया है।

कार्य आवेदन श्रेणियां	संख्या	स्थिति / रिमार्क
आज तक प्राप्त किये गए कुल कार्य आवेदन	161	
पूछताछ / परिकल्पना प्रपत्र / नियत दिनांक के भीतर प्राप्त कार्य आवेदन	127	15 अप्रेल 2014 से 15 सितंबर 2014 के बीच
निरीक्षण किये गए कार्य आवेदन	127 कार्य आवेदन जिनमें से 113 पूर्ण कार्य आवेदन थे।	अनुदान–पूर्व निर्धारण–व डेस्क रिव्यू (127 मेंसे 113 कार्यआवेदन पूर्ण थे बाकी पूछताछ / परिकल्पना पत्र आदि थे।)
निरस्त कार्य आवेदन	77	निरस्त पत्र भेजा गया।
अनुमोदित कार्य आवेदन	7	अनुमोदन पत्र भेजा गया, अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हुआ व अनुदान दिया गया।
कार्य आवेदन जो कि अनुदान–पूर्व निर्धारण के लिये चयनित हुए।	22	7 अनुदान पूर्व निर्धारण : 15 योजनाधीन
कार्य आवेदन निर्णय हेतु विचाराधीन है।	7	आंतरिक मूल्यांकन होना बाकी है।
कार्य आवेदन के आमंत्रण के पूर्व बाद प्राप्त हुए कार्य आवेदन।	35	अगला कार्य आवेदन का आमंत्रण के समय विचाराधीन

चित्र 4: प्राप्त कार्य आवेदनों के विवरण।

अगले चरण में ऐसे कार्य आवेदन जो क्षेत्रगत मूल्य निर्धारण की श्रेणी में खरे उतर रहे हैं उन्हें पीजीएससी की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक कार्यआवेदन जो कि बीआरएलएफ में प्रस्तुत किया जाएगा उसमें महत्वपूर्ण पात्रता के बिंदु इस प्रकार होंगे।

- शासन एवं/बैंक के उपलब्ध प्रमुख कार्यक्रमों से वित्तिय एवं कार्यक्रम संसाधन प्राप्त करना।
- बीआरएलएफ में आवेदित कार्यक्रम के कुल व्यय का 20 प्रतिशत अन्य पोषक संस्था के द्वारा सह पोषित किया जाना चाहिये। इस योगदान में प्रमुख शासकीय कार्यक्रम/बैंक या स्थानिय समुदाय से प्राप्त व्यय को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- आदिवासी समुदाय, विशेषकर महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम।
- सिविल सोसाइटी संस्थाओं/पंचायतीराज/शासकीय अधिकारीगण/ग्रामीण युवा/महिला समूह व समुदायों के क्षमतावर्धन हेतु गतिविधियां।

बीआरएलएफ द्वारा पोषित कार्यक्रम का एक अनिवार्य कारक यह भी है कि सिविल सोसाइटी के साझेदारों को राज्य शासन के साथ साझेदारी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रमुख शासकीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नवीन विचारों के साथ सफल हो। इस उद्देश्य की दिशा में अनुमोदित हुए सात कार्यक्रमों में निम्न नवीन पायलेट व नवीन प्रयासों को शामिल किया गया है।

- सभी साझेदार इस बात को सुनिष्चित करेंगे कि कार्यक्रम की समाप्ति तक किसान गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन को अपनाने का प्रयास करेंगे।
- प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान : स्वच्छता पर कार्य या ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर पायलेट।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना – सभी कार्य परियोजनाएं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिभागियों का शासकीय वित्तीय संभागों में समावेश हो।
- सहभागी भू–जल प्रबंधन–साझेदारों को उक्त विषय पर पायलेट कार्य शामिल करना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना – सभी साझेदारों को सभी परियोजना क्षेत्र में आमुख मुद्दों पर प्रतिभागी परिवारों के साथ सहभागी क्रियान्वयन करना है।
- साझेदारों को विभिन्न क्रय योग्य उत्पादों के मूल्यश्रृंखला को प्रोत्साहित करना।

  साझेदारों को इस बात के लिये सूचित कर दिया गया है कि उन्हें निम्नलिखित नवीन योजनाओं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किये गए हैं, में अपना सहयोग सुनिश्चित करना होगा।
- प्रधानमंत्री बीमा योजना – सभी कार्य आवेदनों में यह सुनिश्चित कर दिया गया है सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आवरित होंगे।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : सभी कार्यआवेदनों में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आवरित होंगे।

अग्रलिखित ग्राफ, किये गए प्रयासों, उनके परिणामों व हितग्राही परिवारों की संख्या, जो कि बीआरएलएफ द्वारा अनुमोदित 7 वित्त पोषित कार्य आवेदनों द्वारा प्राप्त किये जा रहे हैं।

अनुमोदित कार्यक्रमों द्वारा क्षमतावर्धन के प्रयास/ समुदाय आधारित संस्थाओं का मजबूतीकरण के द्वारा आगे चलकर 4,465 स्वयं सहायता समूहों का संस्थापन/ 4,465 स्वयं सहायता समूहों का मजबूतीकरण/ किसान क्लब/ ग्राम विकास समितियों का गठनः 19 संघ/ उत्पादक संस्थाएं/ सहकारी संस्थाएं तथा 30 लघु समुदाय आधारित संस्थाओं का प्रशिक्षण व वित्त सहायता के द्वारा मजबूतीकरण किया जाएगा। इसीके साथ बीआरएलएफ ने संबंधित क्षेत्रों के 30 गांवों में स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता/पेयजल/ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन) के पायलेट कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता अनुमोदित कर दी है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में 111,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास गतिविधियों के कार्यक्रम भी अनुमोदित किये हैं।

बांस षिल्प, चबुकमरी गांव, नारायणपत्ना खंड जिला कोरेपुट, मार्च 2015, श्रेय प्रदीप मिश्रा

कार्यक्रमों के परिणामों से प्रत्यक्ष लाभार्थी परिवारों की संख्या

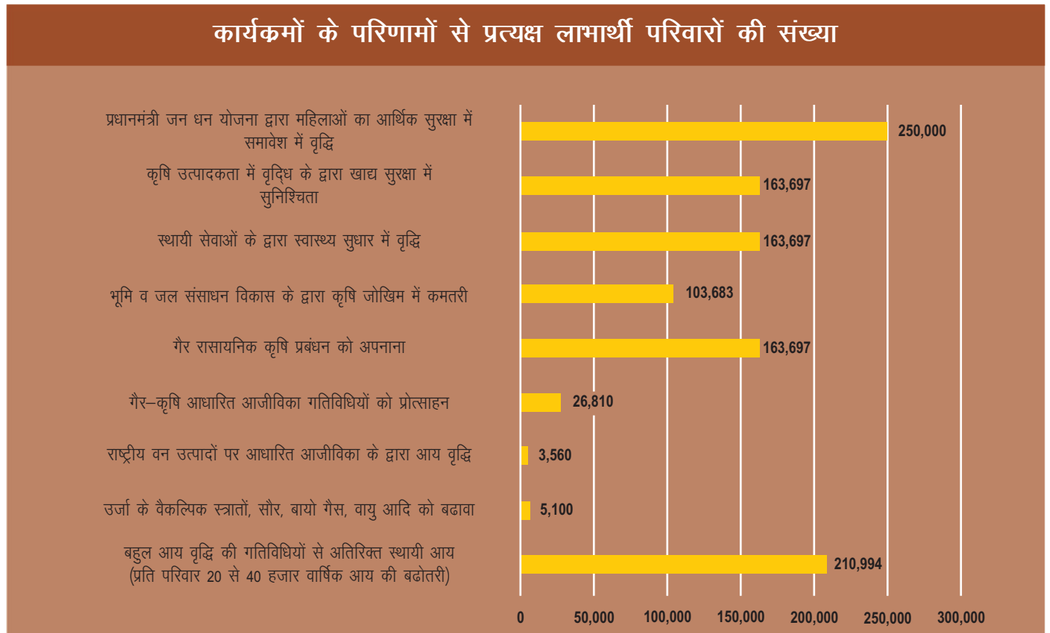

प्रस्तुत ग्राफ के द्वारा यह दर्शाया गया है कि बीआरएलएफ द्वारा अनुमोदित 7 सीएसओ अनुदान कार्यक्रम में संभावित परिवार किन गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से लाभांवित होंगे।

क्षमतावर्धन के प्रयासों द्वारा हितग्राहीयों की संख्या

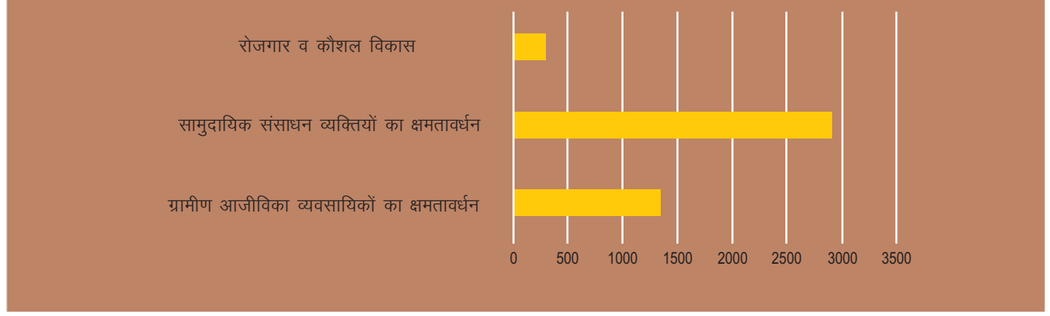

प्रमुख शासकीय योजनाएं व कार्यक्रम जिन्हें सम्मिलित किया जाना है

1.	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान : स्वच्छता कार्य व / या ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर पायलेट कार्यक्रम
2.	प्रधानमंत्री जनधन योजना : सभी प्रतिभागियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
4.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
5.	समुचित वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम।
6.	आदिम विकास विभाग।
7.	गुजरात जल संसाधन विकास निगम।
8.	पशुपालन विभाग।
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट।
10.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
11.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
12.	राष्ट्रीय मिशन National Mission for Sustainable Agriculture
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
14.	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना।
15.	जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संस्थान, गुजरात प्रशासन।
16.	राष्ट्रीय ऋण एवं NABFIN बैंक
17.	केंद्रिय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय
18.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई त्वरित विकास कार्यक्रम
19.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक – आदिम विकास कोष

अनुमोदित कार्यक्रमों में प्रमुख योजनाबद्ध कार्य

1.	सहभागी भूजल प्रबंधन पायलेट कार्यक्रम
2.	प्रधानमंत्री '' स्वास्थ्य कार्ड योजना।
3.	विभिन्न बाजार योग्य उत्पादों के मूल्य प्रोत्साहन
4.	संबंधित गावों में आजीविका वृद्धि के उद्देश्य के साथ भूमि व जल संसाधनों में वृद्धि।
5.	समुचित वॉटरशेड प्रबंधन।
6.	टारगेट ग्रामों में कृषि उत्पादनों में वृद्धि।
7.	सहभागी सिंचाई प्रबंधन।
8.	बागवानी व वृक्ष आधारित खेती का विकास।
9.	डेयरी विकास व पशुपालन
10.	सीताफल, मसाले, छोटा बाजरा व राष्ट्रिय वन उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिये मूल्यनिर्धारण में प्रोत्साहन।
11.	कृषि संरक्षण को वृहत स्तर पर प्रोत्साहन व गैर रासायनिक प्रबंधन को प्रोत्साहन।
12.	चुने हुए संकुलों में नगदी फसलों के उत्पादन को बाजार में उच्च मूल्यों के साथ संबंधित संकुलों के निर्माण हेतु समन्वय।
13.	वृहत स्तर पर समुदाय आधारित महिला संस्थाओं व महिला स्वयंसहायता समूहों व संघों को प्रोत्साहन।
14.	बैंक संबंधों के द्वारा ऋण लाभ लेना।
15.	कृषक उत्पादक कंपनियों की स्थापना व उन्हें प्रोत्साहन देना।
16.	सामुदायिक संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं का क्षमतावर्धन, खासकर संबंधित ग्रामों में प्रसारित प्रमुख आजीविका योजनाओं पर सहभागी योजनानिर्माण।
17.	मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्र में साझा समुदाय आधारित संस्थाओं के नेटवर्क को मजबूत करना।
18.	बेहतर शासन व संसाधनों का सही व जवाबदेह वितरण के लिये पेसा और एफआरए कानून के प्रबंध की बेहतर क्रियान्वयन व समन्वयन
19.	सामुदायिक संस्थानों के विशेषज्ञों के समूह का क्षमतावर्धन व विकास।

उपरोक्त तालिका में बीआरएलएफ द्वारा अनुमोदित 7 कार्यआवेदनों द्वारा कुछ प्रमुख योजनागत कार्यों का विवरण है जो कि आयोजित किये जा रहे हैं।

ब्रशवुड चैक बांध का निर्माण गांव क्लासपुर, पंचायत वालीकुमा कनकदाहद, जिला धेनकनाल, उड़ीसा
श्रेय दावा पेम्बा शेरपा

कार्यक्रम साझेदार

बीआरएलएफ वर्तमान में 7 समुदाय आधारित संस्थाओं के अनुमोदित प्रथम दो वर्षों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों द्वारा 1,00,000 चिन्हित परिवारों तक अपनी पहुंच बनाएगा। इन्हीं 7 कार्यक्रमों के द्वारा अगले पांच वर्षों की समय सीमा में 3,42,987 परिवरों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिसमें से न्यूनतम 66 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे। जैसा कि तालिका क्रमांक 3 में उल्लेख किया गया है, यह प्रतिभागी परिवार 8 राज्यों के 60 जिलों, 101 उपजिलों के 4300 गांवों में निवास कर रहे हैं। बीआरएलएफ अगस्त 2015 तक अगले 10 – 15 संस्थाओं के साथ साझेदारी करने जा रहा है, जिससे कि इन आंकडों में वृद्धि होने की संभावना है।

अग्रलिखित तालिका में बीआरएलएफ के 7 समुदाय आधारित साझेदार संस्थाओं की क्षेत्र पहुंच का संक्षिप्त विवरण है।

स्वयंसेवी संस्था का नाम	सहयोगी राज्य	कुल जिले	कुल जनपद	कुल गांव
आगाखां रूरल सर्पोट प्रोग्राम	गुजरात, मध्यप्रदेश	10	16	295
बायफ	मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र	7	9	160
परहित संस्थान	मध्यप्रदेश	3	4	215
सेवा (SOCIAL EDUCATION FOR WOMENS AWARENESS)	ओडिशा	2	3	106
प्रदान	मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल।	25	50	3000
सृजन	मध्यप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छततीसगढ, राजस्थान	7	12	305
एफइएस	मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र	6	7	236
कुल		**60**	**101**	**4,317**

रसोई बागवानी के लिये भूमि तैयार की क्रिया स्वयम् हित समूह के सदस्यों द्वारा, फरवरी 2014 गांव लाईमूडा, पंचायत कोठाबुहिन, खंड अगुल, श्रेयः दावा पेम्बा शेरपा।

आग़ाखं रूरल सर्पोट प्रोग्राम, इंडिया

आग़ाखां रूरल सर्पोट प्रोग्राम एक गैर शासकीय विकास संस्थान है। यह संस्थान ग्रामीण समुदायों की बेहतरी के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में स्थायी प्रकृतिक संसाधनों के मॉडल विकास एवं मानव संसाधन विकास के लिये प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है। 25 वर्षों के कार्यों के बाद संस्थान वर्तमान में गुजरात के 1100 निम्न आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व पर्यावरण के चुनौतिपूर्ण गांवों में कार्यरत है। आगाखां रूरल सर्पोट प्रोग्राम मध्यप्रदेश व बिहार में भी कार्यरत है।

बीआरएलएफ के साथ साझेदारी के साथ आग़ाखां रूरल सर्पोट प्रोग्राम इंडिया अग्रलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहा है– 1. ज़मीनी स्तर पर प्रभावशाली स्वशासन को प्रोत्साहन देना। 2. ग्राम एवं परिवार स्तर पर उत्पादक संपत्ति आधार का निर्माण करना। मध्यप्रदेश व गुजरात के लघु सिविल सोसाइटी संस्थाओं व ज़मीनी स्तर के शासकीय कर्मचारियों का क्षमतावर्धन।

मिस्त्री प्रषिक्षण उँडतलाई समूह, श्रेय ए.के.आर.एस.पी.आई

पशु टीकाकरण, जिननिया समूह, श्रेयः ए.के.आर.एस.पी

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **प्रमुख ग्रामीण आजीविका गतिविधियों की समुचित योजना एवं क्रियान्वयन के द्वारा आदिवासी आजिविका में वृद्धि।**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	मध्यप्रदेश, गुजरात
जिलों की संख्या	10
जनपदों की संख्या	16
पहुंच	
गांवों की संख्या	295
परिवारों की संख्या	23,700
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	90%

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

जल व भू संसाधन विकास, स्थानिय स्वशासन में सुधार हेतु क्षमतावर्धन, पशुपालन विकास, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, उत्पादन वृद्धि।

एकेआरएसपीआई– विषय वस्तु अनुसार व्यय उपयोग

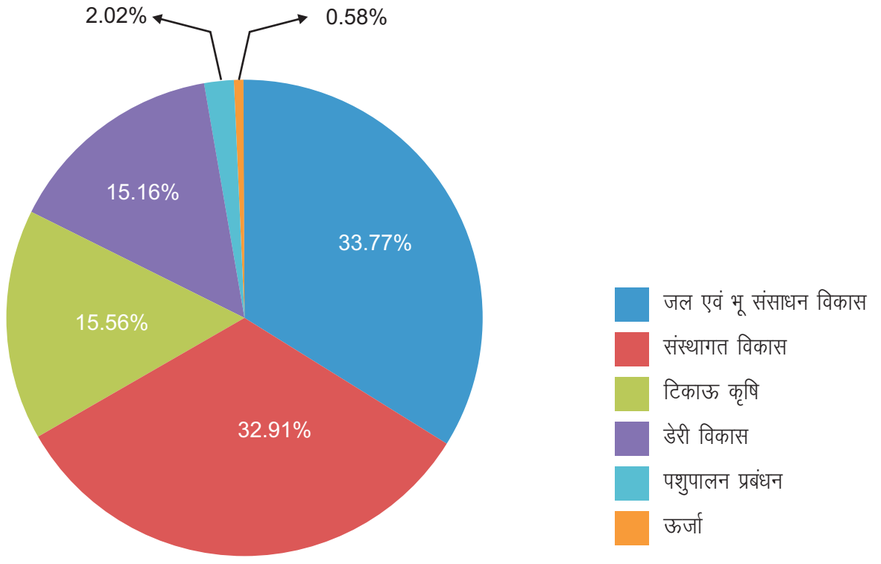

बायफ – डिवेलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन

बायफ एक व्यवसायिक प्रबंधक गैर–प्रॉफिट पब्लिक ट्रस्ट है, जो कि स्व. श्री डॉ. मनि भाई देसाई द्वारा 1967 में ग्रामीण भारत में स्थायी आजीविका को बढावा देने के लिये स्थापित किया गया था। बायफ ग्रामीण समुदाय को प्राकृतिक संसाधन विकास, पशुपालन को प्रोत्साहन, वॉटरशेड विकास व कृषि, बागवानी व मुख्य आयअर्जन गतिविधि के रूप में वानिकी आदि के द्वारा स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध हैं। बायफ वर्तमान में अपने 4500 कर्मचारियों व 13 सहयोगी संस्थाओं के साथ देश के 16 राज्यों में 60,000 गांवों के 4.5 लाख गरीब परिवारों को अपनी सेवाएं दे रहा है।

बीआरएलएफ के साथ स्थापित साझेदारी के समझौते के तहत बायफ इन उद्देश्यों पर कार्य कर रहा है। 1. चिन्हित परिवारों के खेती आधारित आजीविका की स्थिति में सुधार। 2. पशुपालन के तरीकों में बेहतरी। 3. वन आधारित आजीविका में बेहतरी। 4. गैर–कृषि उद्यमों का परिचय व विकास। 5. चिन्हित ग्रामों में प्राकृतिक संस्थाधनों में वृद्धि। 6. समुदाय की स्वास्थ्य स्थति में सुधार लाना।

ग्राम पंचायत के साथ बातचीत, दक्षिण गुमर श्रेय : बी.ए.आई.एफ

जानकारी सभा, बेतुल मध्यप्रदेश, श्रेयः बी.ए.आई.एफ

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **मध्यभारत में आदिवासी आजीवका कार्यक्रम**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	महाराष्ट, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश
जिलों की संख्या	7
जनपदों की संख्या	9
पहुंच	
गांवों की संख्या	160
परिवारों की संख्या	30,200
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	60 प्रतिशत

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

उन्नत कृषि के द्वारा स्थायी आजीविका, वृक्षआधारित कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, मवेशी विकास, वन उत्पाद, स्थानिय संस्थानों का निर्माण व उनकी मजबूती।

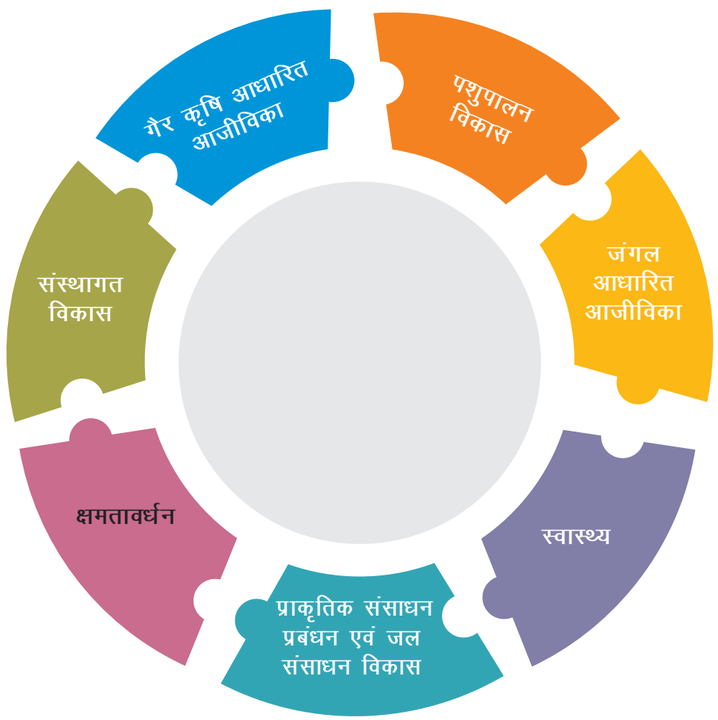

फाउंडेशन फॉर इकोलोजिकल सिक्योरिटी, एफइएस

प्रकृति व जल जंगल व ज़मीन के संरक्षण हेतु असमान पारिस्थिकी और सामाजिक भौगौलिक विशेषता में व्याप्त उच्च स्तरीय असमानता और गरीबी के मुद्दों पर एफईएस संस्था स्थानीय समुदाय व ग्रामीण क्षेत्र में जीवनस्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान में एफइएस देश के छः इको–क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां उनकी पहुंच 8 राज्यों के 30 जिलों के 5,524 ग्राम संस्थानों के 2.89 लाख लोगों से अधिक तक है।

बीआरएलएफ के साथ आवेदित साझेदारी में एफइएस के कार्य इस प्रकार हैं, 1. संस्थागत तंत्र को मजबूती देते हुए पंचायत की लोकतांत्रिक परिचालन को बेहतर बनाना। 2. अधिकारों और हकों को प्राप्त करने के लिये बेहतर सेवाओं तक पहुंच। 3. प्रशिक्षण व ग्रामीण युवा संगठनों की मदद से कार्यक्रमों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निरीक्षण के द्वारा समुदाय की क्षमतावर्धन। 4. आदिवासी आजीविका को मदद करने के लिये वन व अन्य सामान्य भूमि व जल स्त्रोतों में सुधार।

पानी के निकास को एफईएस समूह के सदस्यों द्वारा मार्च 2015, गुबरी गांव, बिचिया, जिला मंडला, श्रेय: एफ ई रस।

ग्रामीण – श्रमिको द्वारा मिट्टी के बांध का नाप, जून 2014, गांव–तोबदा, पंचायत–अनतुलिया, खण्ड–अमुल, जिला–अमुल, श्रेय–दावा पेमंबा, षेरपा।

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **आखरी मील तक पहुंचः आदिवासी क्षेत्र में क्षमताओं को सबलता।**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश
जिलों की संख्या	6
जनपदों की संख्या	7
पहुंच	
गांवों की संख्या	236
परिवारों की संख्या	29,897
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	60 प्रतिशत

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना व क्रियान्वयन के लिये स्थानिय संस्थाओं व क्षमताओं को सबल बनाना, स्थायी आजीविका के लिये शासकीय योजनाओं का लाभ लेना, व्यापक स्तर पर प्रभाव पहुंचाने के लिये अनुकूल प्रयास।

एफइएस – विषय वस्तु अनुसार व्यय उपयोग

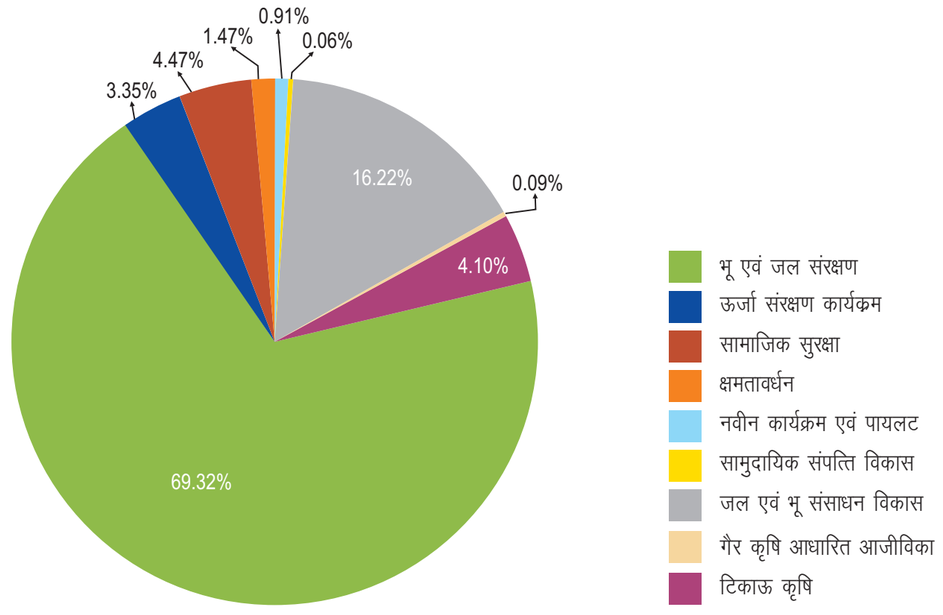

सोशल एज्युकेशन फॉर वुमेन्स अवेयरनेस, सेवा ओडिशा

सेवा संस्था की स्थापना सन् 1991–92 में एक गैर–राजनैतिक, गैर–सांप्रदायिक, गैर–धार्मिक, गैर–लाभ अर्जन, गैर–शासकीय संस्था के रूप में हुई थी।इसकी गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों व संबंधित जिले के कई अन्य हिस्सों में व पडोसी जिलों में भी कार्यरत है। जहां एक ओर इसका मुख्य केंद्र आजीविका, स्वशासन व विशेषकर ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के साथ कार्य करना है, वहीं दूसरी ओर यह झरसुगुडा व संबलपुर जिलों के सामाजिक– आर्थिक रूप से पिछडे समुदायों में भी सेवारत है।

बीआरएलएफ के साथ अपनी साझेदारी में सेवा संस्थान झरसुगुडा जिले में गरीबी की दर को कम करने में प्रसासरत् है। यह तत्कालिक विकास उद्देश्यों के साथ ग्रामीण परिवारों के साथ स्थायी आजीविका के अवसरों को लेकर समुचित व व्यापक आर्थिक गतिविधियों के साथ कार्य करेगा।

आम प्रतिरोपण, कुन्दरूसिंह गांव, श्रेयः सेवा

गांव रोजगार कार्ड धारियों की सभा, श्रेयः सेवा

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : समुचित आजीविका सहयोग कार्यक्रम

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	ओडिशा
जिलों की संख्या	2
जनपदों की संख्या	3
पहुंच	
गांवों की संख्या	160
परिवारों की संख्या	19,754
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	80 प्रतिशत

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

समुदाय आधारित संस्थाओं का मजबूतीकरण व सशक्तिकरण, विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम निधि का लाभ लेना।

सेवा – विषय वस्तु अनुसार व्यय उपयोग

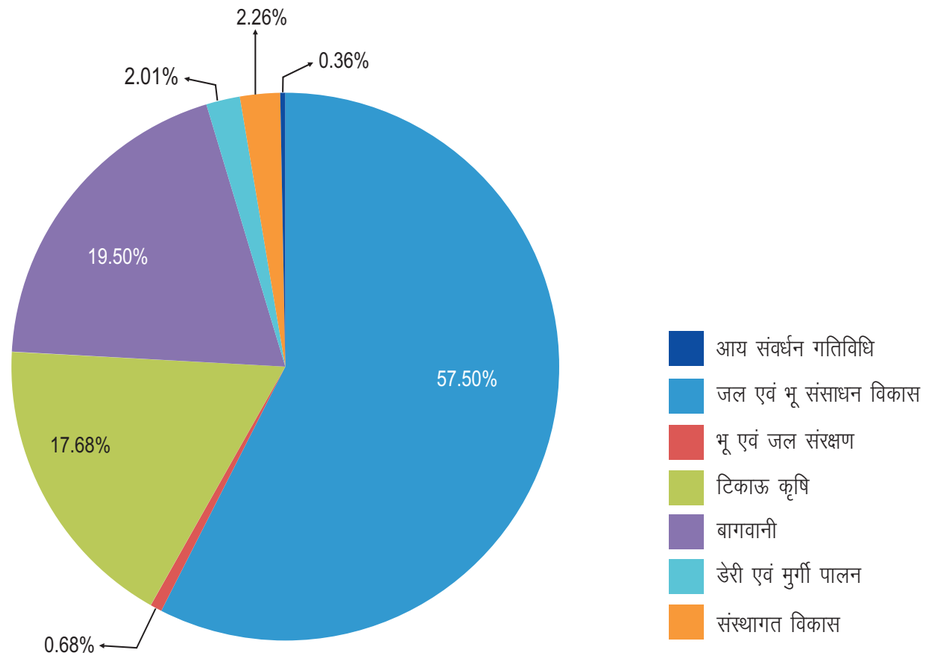

प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डिवेलपमेंट एक्शन, प्रदान

प्रदान संस्था भारत के अतिगरीब क्षेत्रों में स्थायी आजीविका की स्थापना हेतु महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सशक्तिकरण के कार्यों को संचालित करता है। प्रमाणित विकास मॉडलों को पैमाने में लागू करते हुए ग्रामीण आजीविका को बढावा देना, जन संस्थानों का निर्माण करना व इन सभी गतिविधियों को मुख्य धारा में वृहत पैमाने पर प्रभाव स्थापित करना प्रदान संस्था के कार्य का मूल उद्देश्य है। प्रदान संस्था वर्तमान में 43 जिलों के 138 जनपदों के 5,577 गांवों में 317,734 परिवारों के साथ कार्य कर रहा है। इन कुल परिवारों के 73 प्रतिशत परिवार कमजोर समूह जैसे अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति से आते हैं।

बीआरएलएफ के साथ साझेदारी के तहत प्रदान संस्था के उद्देश्य अग्रलिखित हैं। 1. महिलाओं को संगठित करते हुए, स्थानिय स्वशासन में बेहतरी के लिये नीतिगत साझेदारी को निभाना। 2. गहन व विस्तृत आजीविका के स्त्रोतों को विकसित करना। 3. समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ, क्षेत्र में मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ साझेदारी करना ताकि विकास के प्रयासों में समन्यवय हो सके।

महिलाओं द्वारा ट्रे में पौधशाला– पुरलिया, श्रेयः प्रदान

महिलाओं द्वारा रोकड बही का लिखना पुरलिया में कार्यकारी पढाई केंद्र में सीखने के बाद, श्रेय:प्रदान

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्रों में महिला संगठनों के द्वारा उत्प्रेरक व्यापक स्तर पर परिवर्तन।**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान व पश्चिम बंगाल
जिलों की संख्या	25
जनपदों की संख्या	50
पहुंच	
गांवों की संख्या	3000
परिवारों की संख्या	2,00,000
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	60 प्रतिशत

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

स्थायी आजीविका, स्वशासन व संस्थाओं का समूह निर्माण, सामुदायिक क्षमताओं व संपत्ति का निर्माण।

सेल्फ रिलायंट इनिशियेटिव्स थ्रू जॉइट एक्शन, सृजन

सृजन एक राष्ट्रीय स्तर की व्यवसायिक संस्था है जो कि ग्रामीण गरीब समुदायों के आजीविका वर्धन में कार्यरत है। यह संस्था राज्य व राष्ट्रीय शासन के साथ शासकीय नीतिगत सुधार का कार्य करता है। एक विकास संस्थान के रूप में संस्था विकास के स्थायी व आत्मविश्वासी कार्य संरचना को आगे बढाने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में यह संस्था आजीविका प्रोत्साहन व सामुदायिक संस्थाओं के विकास के कार्य के माध्यम से 5 राज्यों के 18 जिलों में 40,000 गरीब ग्रामीण परिवारों के साथ कार्यरत है।

बीआरएलएफ के साथ साझेदारी में सृजन संस्था, निम्न कार्यक्रमों को संचालित करेगी 1. खेती व पशु उत्पादकता में विकास व कृषि व्यय में कमतरी। 2. गरीबों के लिये आय सुरक्षा के अवसरों में बढोतरी। 3. स्थानिय निर्णय प्रक्रिया में गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। 4. स्वशासन व्यवस्था की स्थापना व उसे अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाना। 5. जारी कार्यक्रमों में मानव संसाधन के अंतर को कम कर उन्हें मजबूती देना।

जैविक बाग वृक्षारोपण के लिये गड्ढे की खुदाई मैनंखप्पा मोहखेद खंड, श्रेयः माहम्मद जारिद

श्रीमती फूदिया बाई ओर श्रीमती उजानी बाई ने अपरूद के पेड लगाए– मेहलारी गांव के श्री उजरलाल टिकम के बाग में श्रेयः मोहम्मद जारिद

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **ज्योर्तिगमया यानि विकास का प्रकाश। ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 16000 आदिवासी परिवारों में आजीविका सुरक्षा व क्षमतावर्धन।**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान
जिलों की संख्या	7
जनपदों की संख्या	12
पहुंच	
गांवों की संख्या	305
परिवारों की संख्या	16,000
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	60 प्रतिशत

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

स्थायी आजीविका, स्वशासन एवं संस्थान सामूहिक निर्माण, समुदाय का क्षमता एवं संपत्ति निर्माण।

सृजन – विषय वस्तु अनुसार व्यय उपयोग

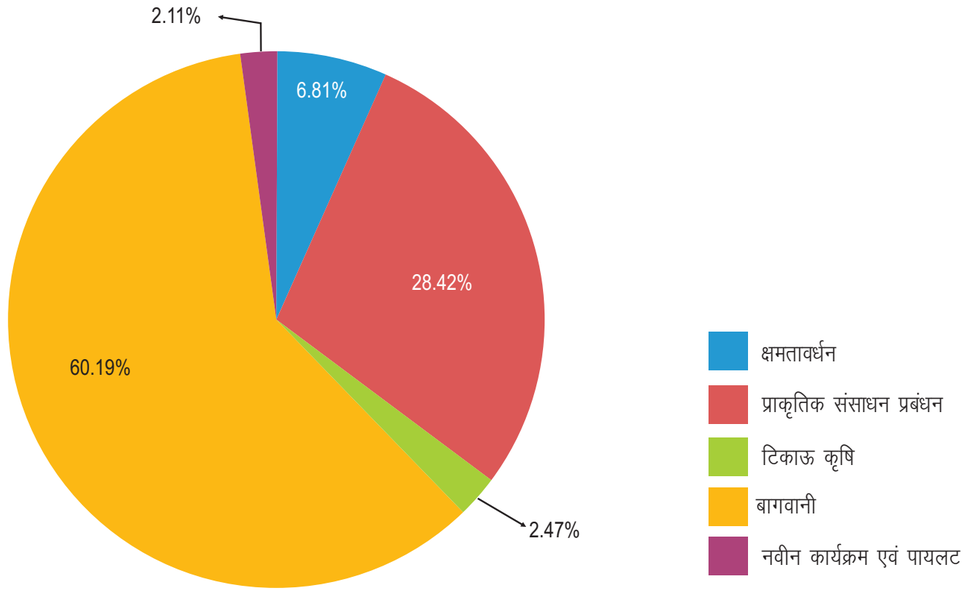

कंसोर्टियम कार्यक्रम : परहित समाज सेवी संस्थान (अग्रणी साझेदार)

कंसोर्टियम कार्यक्रम में परहित समाज सेवी संस्थान (अग्रणी साझेदार), कल्पतरू विकास समिति, धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति, एवं निस्वार्थ सार्थक प्रयास एवं परिवार कल्याण समिति सम्मिलित हैं। कंसोर्टियम कार्यक्रम के सदस्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, समुदाय आधारित संस्थाओं व पंचायतीराज की संस्थाओं का क्षमतावर्धन, जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं बाल शिक्षा आदि विषयों पर कार्यरत हैं। यह संस्था मध्यप्रदेश के टीकमगढ, गुना, मुरैना, शैओपुर, शिवपुरी व बुंदेलखंड जिलों में कार्य कर रहे हैं।

बीआरएलएफ के साथ आवेदित साझेदारी में इन सदस्य संस्थाओं के उद्देश्य इस प्रकार हैं – 1. सहरिया आदम जाति समुदाय को स्थायी आजीविका विकल्पों व वैकल्पिक तरीकों से सशक्त बनाना। 2. वन उत्पादों के संग्रहण के तरीकों को बेहतर बनाना व वन उत्पादों को बाजार के साथ संलग्न करना। 3. सेहरिया समुदाय की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के संदर्भ में जागरूक करना, जिसमें कि संबंधित गांवों की 60 प्रतिशत महिलाएं शमिल होंगी। 4. समुदाय आधारित संस्थाओं व पंचायती राज संस्थानों को शासकीय कार्यक्रमों व विकास योजनाओं के द्वारा मजबूत बनाने हेतु समन्वयन। 5. संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।

सहारिया लोगों के बीच कुपोषण का मुद्दा – शिवपुरी कलेक्टर दफ्तर श्रेयः परहित

बुंदेलखंड में भूमि का मुद्दा – श्रेयः परहित

कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का नाम : **ग्वालियर–चंबल क्षेत्र में सेहरिया आदिवासी समुदाय के साथ प्रमुख शासकीय कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन द्वारा खाद्य सुरक्षा व स्थायी आजीविका पर कार्य।**

भौगोलिक केंद्र	
राज्य का नाम	मध्यप्रदेश
जिलों की संख्या	3
जनपदों की संख्या	4
पहुंच	
गांवों की संख्या	215
परिवारों की संख्या	21,136
आदिवासों परिवारों की संख्या जो कार्यक्रम में शामिल होंगे (प्रतिशत में)	100 प्रतिशत – सेहरिया आदिवासी समुदाय

कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र विषय

स्थायी आजीविका के साधन, क्षमतावर्धन निर्माण

परहित कंसोर्टियम – विषय वस्तु अनुसार व्यय उपयोग

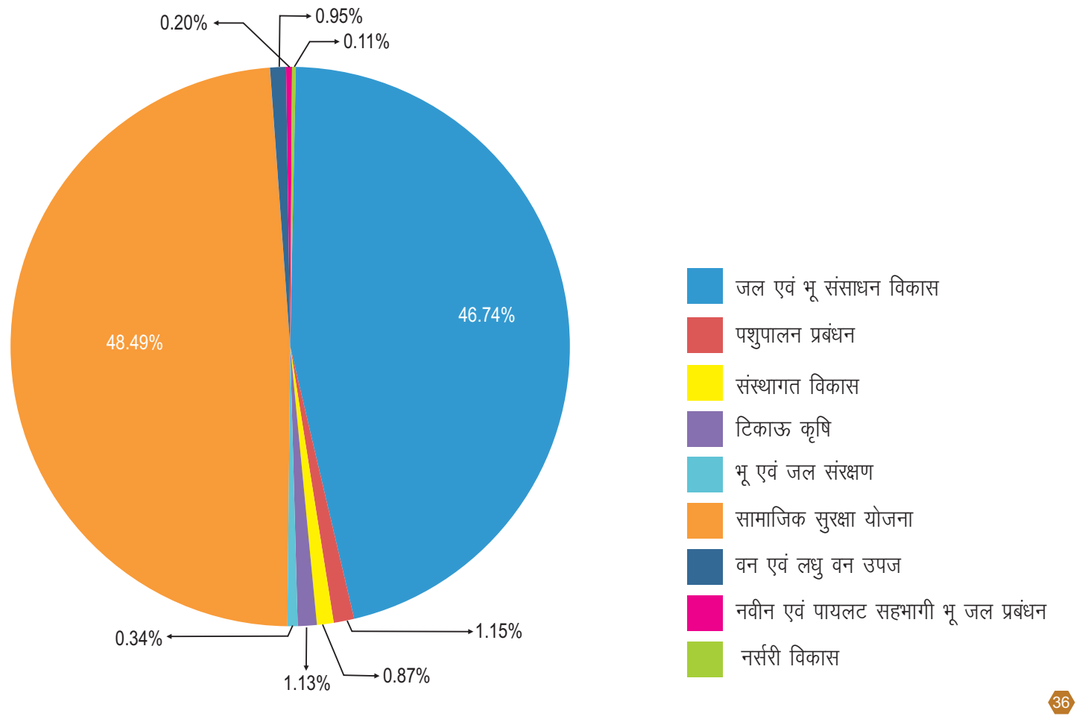

सॉफ्टवेयर एड 360–बीआरएलएफ अनुदान प्रबंधन साधन

आवेदित कार्य आवेदनों के चुनाव और अनुमोदन की प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये बीआरएलएफ ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के सहयोग द्वारा सूचना तकनीकी से परिपूर्ण प्रबंधन सूचना व्यवस्था पर आधारित एक साफ्टवेयर एड 360 विकासित किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के साथ तय हुए अनुबंध के अनुसार साफ्टवेयर का निर्माण चरणों में किया जाना तय किया गया था। प्रथम दो चरणों में साझेदारों के पंजीयन व कार्यआवेदन की रचना की जाती है, तथा साफ्टवेयर के तीसरे व अंतिम चरण में एक गहन परिचर्चा का परिचालन होता है।

यह प्रबंधन सूचना व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें आवेदक के चयन से लेकर बीआरएलएफ द्वारा पोषित प्रत्येक कार्यक्रम के परिणामों का निरीक्षण तक किया जा सकता है। इस व्यवस्था द्वारा–

- ज़मीनीस्तर पर कार्यक्रम योजना का बेहतर बनाना – कार्यक्रम प्रबंधन साधन के रूप में यह साफ्टवेयर परिणाम आधारित कार्यक्रम नियेाजित करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- साफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रम निर्माण के दौरान सतत परिणामों जिसमें हितग्राही, प्रभाव, परिणाम, गतिविधियां व कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में किये जाने वाले प्रयासों को पूरी स्पष्टता के साथ चित्रित कर सकता है।
- कार्यक्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि–यह समुचित साधन वित्त प्रबंधन, कार्यवाही व मानव संसाधन का क्षमता को बढाती है।
- कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढाना –हितग्राहियों की पहचान, प्रभाव के स्पष्ट सूचक, परिणाम, गतिविधियां व निवेश/प्रयास आदि मजबूत परिणाम निर्धारण को सुनिश्चित करने में मदद।
- बेहतर निर्णय निर्माण – कार्यक्रम की उन्नति को सही समय पर दृष्टिगत करने, आकस्मिक कार्यवाही के साथ साथ कार्यक्रम में व्याप्त प्रमुख बिंदुओं से साझेदारों को समय पर और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- सीखने व बांटने की श्रेष्ठ व्यवहार में सहयोग – यह प्रबंधन सूचना व्यवस्था साधन कार्यक्रम के कार्यसमूह को अपने अनुभवों को बांटने व उन्नत सफलता के लिये बेहतर व्यवहार को विकसित करने हेतु सक्षम बनाता है।

साझेदार पंजीयन

- एड 360 में अनुदान आवेदन के आरंभिक संपर्क से लेकर अंतिम स्तर में आवेदन जमा करने तक मजबूत प्रक्रिया व व्यापक समावेश है।
- दिये गए प्रपत्र की जानकारी के आधार पर संभावित अनुदान आवेदक संस्था की पहचान हो जाती है।
- साझेदार के पंजीयन हेतु दस्तावेज़ों की सत्यता व वैधता को जांच की जाती है।
- इसमें निर्मित उच्च स्तरीय आकस्मिक प्रक्रिया के आधार अंकित की गई पर साझेदार व कार्यक्रम की जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य आवेदन निर्माण

- परिणाम निर्धारक योजनाओं को तैयार करने में समर्थ करता है।
- परिणाम श्रृंखला से जुडी पूरी सूची जिसमें हितग्राही, प्रभाव, परिणाम, उत्पादन, गतिविधियां व निवेश आदि कार्यक्रम रचना के प्रत्येक स्तर पर देखी जा सकती है।
- कार्यक्रम की उन्नति को सही समय पर दृष्टिगत करने, आकस्मिक कार्यवाही के साथ साथ कार्यक्रम में व्याप्त प्रमुख बिंदुओं से साझेदारों को समय पर और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- निरीक्षण व मूल्यांकन के साथ निहित ढांचे में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर की उन्नति व व्यय उजागर होती रहती है।
- कार्य आवेदन के संपूर्णता की वैधता को सॉफ्टवेयर इंगित करता है।
- उपयोगकर्ता के द्वारा कार्य आवेदन को ऑनलाइन जमा करने व कार्य आवेदन के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा देता है।

कार्य आवेदन मूल्यांकन

- एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली की समीक्षा संभव है जिसमें सूक्ष्म निर्णय लेने कि प्रक्रिया के साथ साथ अनुदान पूर्व क्षेत्र निरीक्षण भी किया जाएगा।
- प्रत्येक कार्य आवेदन के उद्देश्यों को मूल्यांकन के पैमानों पर आंकने की अनुमति देता है।
- मूल्यांकनकर्ता की रिर्पोट के साथ साथ क्षेत्र की अतिरिक्त जानकारी
- कार्यक्रम आवेदक चयन समिती को क्षेत्र की तात्कालीन जानकारी के आधार पर पूर्व में जमा किये गए दस्तावेज़ों के आधार पर सामर्थ्य देता है।
- संभावित आवेदक व बीआरएलएफ दोनों के लिये पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह दृष्टिगत स्थिति स्पष्ट करता है।

प्रकिया स्वीकृति निरीक्षण

- कार्यआवेदनों व योजनाओं के प्रक्रिया की पूर्णता।
- विभिन्न प्रक्रियाओं में देरी और समाप्ति के लिये समय का विश्लेषण उपलब्धता।
- कार्यक्रम के कियान्वयन का प्रत्येक स्तर पर स्थिति विश्लेषण।
- समयनिर्धारण के अनुसार प्रकिया समापन व्यवस्था के द्वारा कार्यप्रवाह पर संकेत।

चित्र4: एड360 साधन की कार्यकारी व्यवस्थाएं।

ग्रामीण व्यवसायियों के कैडर का क्षमतावर्धन

बीआरएलएफ ग्रामीण व्यवसायिकों हेतु एक बहु–केंद्रित, बहु–उद्देशिय पाठ्यक्रम का निर्माण करने कि दिशा में कार्यरत है। इस संदर्भ में बीआरएलएफ ने सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय श्री एस.एम. विजयानंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की एक बैठक पूर्व में ही हो चुकी है और जल्द ही पाठ्यक्रम के विवरण व ग्रामीण व्यवसायिकों की क्षमतावर्धन पर तय किये गए मुद्दों पर निर्णय लिये जाएंगे।

पाठयक्रम में ग्रामीण आजीविका के विभिन्न आयामों जैसे वॉटरशेड प्रबंधन, स्वयं सहायता समूह निर्माण, आजीविका विकल्प, विकेंद्रित स्वशासन, प्रबंधन स्त्रोतों का आम संघ आदि को सम्मिलित किया गया है। यह कोर्स क्रमशः 6–12 माह का होगा जो कि ग्रामीण आजीविका पर ग्रामीण व्यवसायिकों के लिये (वे लोग जो क्षेत्र के ही निवासी हैं, इनमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।) जो कि स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय या पंचायती राज के संस्थाओं के कमर्चारी हैं, यह उन 1000 से अधिक उप जिलों में लागू होगा जहां बीआरएलएफ के सहयोग द्वारा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

गांव सभा में कृषि हस्तक्षेप पर विचार एफईएस समूह द्वारा खंण्ड खटानजी, जिला यवातमल, महाराष्ट्र श्रेय – एफईएस

प्रत्येक 6 व 12 माह में यह कोर्स विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होगा जहां बीआरएलएफ द्वारा पोषित संस्थाएं वृहत स्तर पर क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जिसमें कि उनकी विशेषज्ञता व अनुभव प्राप्त है। बीआरएलएफ द्वारा ग्रामीण व्यवसायियों को मध्यभारत के आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों/समस्याओं का सामना करने के लिये उन्हें प्रदर्शन व आदानप्रदान करने योग्य सरल व उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रयास के द्वारा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले ग्रामीण विकास व्यवसायिकों की उपलब्धता बढेगी। समय के साथ यह लोग सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों के रूप में उभर कर अन्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन कर हमारे प्रमुख कार्योंक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आने वाले समय में बीआरएलएफ इस पाठ्यक्रम को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमैंट या अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाणित भी कर सकता है।

बीआरएलएफ के आयोजन

1. बीआरएलएफ और राष्ट्रीय मनरेगा कंसोर्टियम के बीच 23 दिसंबर 2014 में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठि में यह तय हुआ कि पश्चिमी ओडिशा में पलायन के मुद्दे पर विशेष बल दिया जाएगा।

   इस संगोष्ठि का उद्देश्य, सिविल सोसाइटी, राज्य व केंद्र शासन को एक मंच पर लाकर भविष्य के लिये सम्मिलित मुद्दे और उनसे जुडी कार्यवाहियों को तय करना था। इस संगोष्ठि में क्षेत्र से जुडे अनुभवों पर प्रकाश डाला गया और विशेष रूप से इस बात की संभावना पर चिंतन किया गया कि भविष्य में मनरेगा की सहायता से होने वाले विकास के द्वारा पलायन की व्यथित स्थिति को कैसे मिटाया जा सकता है।

2. बीआरएलएफ एवं एडवांस सेंटर फॉर रिर्सोसेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के संयुक्त रूप से समुचित जल सर्वेक्षण आधारित भूजल प्रबंधन विषय पर 2 और 3 मई को पुणे, वाजरे, डॉ. मनिभाई देसाई नगर स्थित बायफ डिवेलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन के बायफ भवन में संवेदीकरण कार्यशाला आयेजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भूजल प्रबंधन से जुडे मुद्दों पर विमर्श करना। बीआरएलएफ ने अपने सभी कार्यक्रम साझेदारों को भूजल की महत्ता, भूजल पर निर्भरता तथा वर्तमान में हमारे पर्यावरण पर प्राकृतिक दबाव के बारे में संवेदीकरण किया था। भूजल संसाधन, उससे जुडे मुद्दे और चुनौतियां तथा भूजल, बीआरएलएफ के द्वारा प्राप्त किये गए कुछ कार्यआवेदनों के विशेष क्षेत्रों में आजीविका व जल सुरक्षा अंतरपृष्ठिय संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

3. बीआरएलएफ द्वारा एड 360 सॉफ्टवेयर पर आधारित कोर टीम के साथ कई सारी प्रशिक्षण एवं जांच कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये प्रशिक्षण तकनीकि प्रशिक्षण साझेदार के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस के साथ साझेदारी में आयोजित की गई थी। वर्तमान में, पहले चरण की विषय सामग्री एड 360 साधन पर अपलोड करने की प्रक्रिया में है जो कि बीआरएलएफ साझेदारों के साथ प्रशिक्षण के साथ अनुसरित की जाएगी, कार्यक्रम प्रबंधन, रिकॉर्डिंग, निरीक्षण व फीडबैक प्रक्रिया आदि का भी इस साधन में समावेश किया जाएगा। जुलाई 2015 के दौरान एड 360 की अगला प्रशिक्षण तय किया गया है।

नरेगा संघ प्रसंग, उडीसा बीआरएलएफ द्वारा आयोजित श्रेय – राजीव राउल

भागीदारी भूजल प्रबन्धन पर पार्टनर संवेदीकरण प्रशिक्षण बायफ के कैंपस में, मई में एकवाडैम द्वारा आयोजित श्रेय–एकवाडैम

तालिका 1: पंजीयन प्रपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/ND/ 351 /2013

I hereby certify that "BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)" Located at 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860.

Given under my hand at Delhi on this 10th day of December Two Thousand Thirteen.

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal

Registrar of Societies
New Delhi District

(PRADEEP KUMAR)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

तालिका 2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अनुबंध पत्र

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
AND
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

This MoU is being entered into between:

The Ministry of Rural Development, Government of India (to be called MoRD hereafter)

And

Bharat Rural Livelihoods Foundation, an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860 having registration number S/ND/351/2013 and registered office at 38-A Krishi Bhawan, New Delhi (to be called BRLF hereafter)

On this 13th day of January (month) in the year 2014

Whereas the Government of India has decided to

A. Set up Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) as an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860
B. Release Rs. 500 Crore for creating the corpus of the new Society, in two tranches subject to conditions laid down by Expenditure Finance Committee

Whereas BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women, particularly in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning.

Whereas MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Whereas through setting up of BRLF, the MoRD desires to look at a new model of partnership wherein Government proactively engages with private philanthropies, public and private sector undertakings (as part of their corporate social responsibility) as well as other stake-holder groups to raise resources to support and scale up proven interventions ofCivil Society Organisations.

And whereas the Government of India decided that the first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be provided to BRLF at the time of its formation and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be provided after two years subject to fulfilment of certain conditions.

NOW THE MoU STANDSAS FOLLOWS:

1. The first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be released to BRLF by the MoRD immediately upon signing of this MoU between the two parties and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be released after two years on fulfillment of the following conditions:.

1. The corpus must be managed by BRLF and invested following prudential financial norms under competent advice. No expenditure should be made from the corpus itself and only the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of BRLF

2. In the initial years, BRLF may focus on blocks that have at least 20 percent tribal population from the tribal regions of Central India, with preference where possible to areas of higher tribal population. However, BRLF should be open for pan-India implementation also, in later years.

3. BRLF needs to frame its corpus management policy, grant making policy, human resources policy etc. within a definite time frame and well before release of the second tranche.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. To achieve the objectives of BRLF for upscaling civil society action in collaboration with the Government, the most important component of the grant support to Non-Government Organisations /Civil Society Organisations by BRLF will be to meet their cost of additional professionals and institutional costs of supporting the professionals. In this respect, BRLF should bear no more than 80% of the costs. The rest has to be sourced by the grantee NGO/CSO from own or other sources. A cap on the proportion of funds to be spent on administrative matters should be placed by BRLF (other than salary of professionals).

5. The evaluation criteria for assessing the impact of BRLF should be firmed up at the beginning itself so as to enable an independent assessment of the impact at the end of the XII Five Year Plan. The Government will undertake a review of BRLF after five years and in case the outcomes are not forthcoming as projected, the Government will be free to take back the grant and advise dissolution of BRLF.

6. One of the expectations from BRLF is that the experiences of resolving the problems of the tribal and other poor communities should throw up recommendations to the Government on the changes required in programmes and policies. BRLF will periodically send its recommendations to the Government in appropriate ways.

7. For the release of the 2nd tranche of corpus fund amounting to Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore), the following are the conditions to be met by BRLF in addition to the above:

   a. Completion of the process of hiring of the CEO and other core staff
   b. Formulation of basic operating policies, including grant approval & monitoring, HR policy etc
   c. Conclusion of agreements with States regarding flow of programme funds to projects
   d. Selection of first batch of projects and start of work on ground

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

e. The CSOs supported by BRLF should be able to reach out to at least 1,00,000 families
f. At least Rs. 100 Crore (Rupees One Hundred Crore) of private contribution should be mobilized either through corpus contribution or through annual grants or through co-financing by other donors
g. Improvement in scheme delivery should be documented
h. Regularity of Board meetings in accordance with the letter and spirit of Byelaws of BRLF
i. Proper management of Corpus with competent advice

2. Through this MoU, the MoRD commits to provide the following support to BRLF:

1. Immediately upon signing of this MoU, MoRD will transfer first tranche of its corpus support of Rs. 200 crore to BRLF
2. MoRD will make every endeavor to foster and facilitate effective working relationship between the State Governments, BRLF and Civil Society Organisations supported by BRLF
3. MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes
4. MoRD will support BRLF's endeavor to raise financial resources from non-government sources including private philanthropies, public and private sector undertakings, CSR initiatives etc.
5. Upon fulfilment of conditions laid down in this MoU, MoRD will transfer second tranche of its corpus support of Rs. 300 crore to BRLF

3. Reporting:

BRLF will report to the MoRD on an annual basis by submitting its audited financial report; corpus/other funds mobilization, investment and utilization report and narrative annual report.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. Visibility:

BRLF should mention the following in its communications and on its letter-head:

"An independent society set up by the Government of India to upscale civil society action in partnership with Government"

5. Indemnity

BRLF and MoRD shall fully indemnify each other of all statutory liabilities arising due to their own failure to comply with statutory obligations. In addition to this general indemnity, BRLF and MoRD shall completely absolve each other from any other liability issues that may be raised against it by any of its clients /customers /partners

6. Force majeure

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure' means an event which is beyond the reasonable control of a party, either BRLF or MoRD and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.
2. The failure of any party, either BRLF or MoRD, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this MoU.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[6]

3. In the event of a force majeure, BRLF and MoRD shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

7. Disputes and arbitration:

Any dispute between BRLF and MoRD on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of BRLF and achieving the purposes for which BRLF is set up, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Secretary, Rural Development, Government of India will act as the Arbitrator.

Signed on 13 th day of January in the year 2014 by

Designated Official on behalf of Bharat Rural Livelihoods Foundation	Designated Official on behalf of Ministry of Rural Development Government of India
Signature: [signature]	Signature [signature]
Name: T. Vijay Kumar	Name एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
Seal: CHIEF EXECUTIVE OFFICER Bharat Rural Livelihoods Foundation	Seal: अपर सचिव/Additional Secretary ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development भारत सरकार/Govt. of India कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Witness	Witness
Signature: [signature]	Signature: [signature]
Name: Naval Kishor Gupta	Name: P.S. PRASANNA KUMAR
Address: 19/414, Sundaram Khand, Sector-19, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012	Address: पी. एस. प्रसन्ना कुमार P. S. Prasanna Kumar निजी सचिव/Private Secretary ग्रामीण विकास मंत्रालय/Min. of Rural Development भारत सरकार/Govt of India कृषि भवन नई दिल्ली-1/Krishi Bhavan, New Delhi-1

तालिका 3: अनुच्छेद 12ए

Office of the
Director of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.DIT (E) I 2014-15/ DEL - BR23932 - 08092014 3849 Dated **08/09/2014**

NAME &. ADDRESS: **BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]**
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status : **Society**
PAN NO : **AACAB2971N**
GIR NO : **B-1662**

Sub:-ORDER OF REGISTRATION U/S 12A. READ WITH SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT. 1961

1. An application in Form No. I0A seeking Registration u/s 12A was filed on ...**12/03/2014**....
2. The Trust / Society / Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association / instrument dated **10/12/2013** indicating its object.
3. After considering the material available on record, the applicant trust / society / company is granted registration as '**General Public Utility**' Trust / society / company and the provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case from A. Y. ---**2014-15**-------.The trust/society/NPO is registered at S. No. ....**DEL - BR23932 - 08092014** of the register maintained in this office. The registration is granted subject to the following conditions :

Conditions:

I. Order u/s 12A(1)(a) read with section 12AA(1) (b) does not conform any right of exemption upon the applicant u/s 11, 12 and 13 of the Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act 1961.

II. The Trust/Society/Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in memorandum shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered / Designated Office of the Organization.

III. Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income Tax Act 1961.

IV. The trust/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

V. The trust/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

VI. The registration u/s. 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction/s. 80G.

VII. This certificate cannot be used as a basis for claiming non - deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/Institution.

VIII. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to this office.

IX. No change in the terms of Deed of the Trust shall be effected without due procedure of law i.e. by order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office.The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

X. No asset shall be transferred without the knowledge of the undersigned to anyone, including to any Trust / Society / Non profit Company etc.

XI. The registred office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the national capital territory, Delhi except with the prior approval of the DIT(E), Delhi.

XII. If later on it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the Registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s section 12AA(3) of the Act.

XIII. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Institution are no genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Institution.

[Stamp: Director of Income Tax (Exemptions)]

(SUNITA PURI)
Director of Income Tax (Exemption)
DELHI

Director of Income Tax (Exemptions)
26th Floor, E2, Pratyaksh Kar Bhawan
Civic Centre, New Delhi-110002

Copy to:

1 The applicant as above
2. The Assessing Officer

(M.K.SHARMA)
Income Tax Officer(Exemp)(HQ)
For Director of Income Tax (Exemption) DELHI

Income Tax Officer (Hq.) (E)
26th Floor, Block E-2,
Pratyaksh Kar Bhawan,
Civic Centre, J. L. Nehru Marg,
New Delhi-110002

तालिका 4: 80जी प्रपत्र

Office of the
Commissioner of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.CIT (E) I 2015-16/ **DEL - BE26004 - 15052015/6275** Dated **15/05/2015**

NAME &. ADDRESS: **BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]**
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status : **Society**
PAN NO : **AACAB2971N**
GIR NO : **B-1662**

Sub:-ORDER UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

On verification of the facts stated before me/hearing before me, I have come to the conclusion that this organization satisfies the conditions u/s 80G of the Income Tax act, 1961. The institution/Fund is granted approval subject to the following conditions:-

(i) The Donee institution shall forfeit this benefit provided under the law, if any of the conditions stated herein are not complied with/abused/whittled down or in any way violated.

(ii) This exemption is valid for the period from **A.Y.2015-16** **onwards till it is rescinded** and subject to the following conditions

Conditions:

(i) You shall maintain your accounts regularly and also get them audited to comply with sec. 80G (5)(iv) read with section 12A(1)(b) and 12A(1)(c) and submit the same before the assessing officer by the due date as per section 139(1) of the Income tax Act 1961.

(ii) Every receipt issued to donor shall bear the number and date of this order and shall state the date up to which this certificate is valid. **A.Y.2015-16** **onwards till it is rescinded.**

(iii) No change in the deed of the trust/association shall be affected without the due procedure of Law and its intimation shall be given immediately to this office.

(iv) The approval to the institution/fund shall apply to the donations received only if the fund/institution, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions as laid down in section 80G5(i), (ii), (iii), (iv), (v) & (5B) of the Income Tax Act 1961.

(v) This office and the assessing officer shall also be informed about the managing trustees or Manager of your Trust/Society/Non Profit Company and the places where the activities of the Trust/Institution are undertaken/likely to be undertaken to satisfy the claimed objects.

(vi) You shall file the return of income of your fund/institution as per section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.

(vii **No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.**

(SUNITA PURI)
Commissioner of Income Tax (Exemptions)
DELHI

Copy to:
1 The applicant as above
2. The Assessing Officer

Commissioner of Income Tax(E)
Room No. 2602, Block-E2
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
New Delhi-110002

(PANKAJ SACHAN)
ACIT(Exemp)(HQ)
For Commissioner of Income Tax (Exemptions) DELHI
Asstt. Commissioner of Income Tax
(Exemptions) (Hqrs.) Room No. 2620
26th Floor, Block-E-2,
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

तालिका 5: खाता अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश (2014–2015)

AVA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

4F, Gopala Tower, 25, Rajendra Place
New Delhi -110 008 (India)
Tel. : +91-11-25868593 - 94
Fax : +91-11-45040855
E-mail : ava@avaca.in

Independent Auditors' Report

To The Members of
Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2015, the Income and Expenditure Account, Receipt and Payment Account for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Opinion

We further report that we have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit. In our opinion proper books of accounts have been kept by the Society as far as appears from our examination of those books. We also report that the annexed statements of accounts are in agreement with the said books of accounts.

We also made an attempt to examine the transactions on test basis for regularity, reasonability, prudence and also the impact of various laws or underlying grant conditions with a view to appraise the propriety of expenditure. In our opinion and according to the information and explanation given to us, having regards to the explanation that certain items purchased/ services procured are of special nature for which suitable alternative sources do not exist for obtaining comparative quotations and in view of exigencies of operations; and, for which appropriate management approvals have been obtained, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the society.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with the schedules thereon give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2015.
b. In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus of the period ended on that date.
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Further we report that:

a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
b. In our opinion proper books of accounts as required under Societies registration Act, 1860 has been kept by the society so far as appear from our examination.
c. the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account dealt with this report are in agreement with the books of account.
d. In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account, comply with the relevant accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

For AVA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 004017N

(CA Avineesh Matta)
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 03.06.2015

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2015

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2014-15	2013-14
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	102,854,104	-
Capital Grant-in-Aid	C	960,583	-
Reserve & Surplus	D	205,961,079	14,322,493
Current Liabilities & Provisions	E	268,156	-
Total (Rs.)		**2,310,043,922**	**2,014,322,493**
ASSETS			
Fixed Assets	F	1,315,984	-
Investments	G	2,000,000,000	-
Investment of Endowment Fund	H	100,000,000	-
Current Assets			
Cash & Bank Balance	I	174,457,817	2,014,322,493
Other Current Assets	J	34,270,121	-
TOTAL (Rs.)		**2,310,043,922**	**2,014,322,493**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q	-	

As per our report of even dated attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN :004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 03.06.2015

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2014-15	2013-14
Grants, Subsidies & Donations	K		
i. Donation		-	1,000,000
ii. Grants		6,482,447	-
Other Income	L	203,425,966	13,322,493
TOTAL		**209,908,413**	**14,322,493**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	M	7,350,474	-
Establishment Expenses	N	7,234,867	-
Other Administrative Expenses	O	2,975,982	-
Depreciation	F	708,504	-
Excess of Income over Expenditure		191,638,586	14,322,493
TOTAL		**209,908,413**	**14,322,493**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN:004017N

AVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 03.06.2015

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

(Amount in Rs.)

Receipts	2014-15	2013-14	Payments	2014-15	2013-14
Opening Balance			Audit Fees Paid	31,461	-
Cash	-	-	Books/ periodicals/publications	132,186	-
Bank Balance	2,014,322,493	-	Equipment Maintenance Expenses	69,149	-
			Conveyance Expenses	16,765	-
Other Donation Received		1,000,000	Employer EPF Contribution	120,238	-
Corpus Grant from MORD, GOI	-	2,000,000,000	EPF Admin Charges	9,000	-
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	100,000,000	-	Fees and Registration	7,743	-
Grant from UNDP	8,085,150	-	Fixed Assets Purchased		-
Interest received on Saving Bank Account	10,077,894	13,322,493	- from Income from MORD Corpus Fund	421,786	-
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of Tds of Rs. 1,99,94,301)	166,551,904	-	- from UNDP Sponsor Project	1,602,703	-
			Investments in Bank Fixed Deposits		-
			- from Income from MORD Corpus Fund	2,000,000,000	-
			- from TATA Endowment Fund	100,000,000	-
			Consultancy & Professional Charges	849,000	-
			Meeting Expenses	509,174	-
			Misc Expenses	3,400	-
			Office Expenses	142,040	-
			Policy Strategy & Partnership Development Expenses	328,693	-
			Postage & Courier	4,988	-
			Stationary Expenses	60,481	-
			Recruitment Expenses	630,404	-
			Office Rent	1,144,000	-
			Salary	7,439,008	-
			Security Deposit (Rent)	200,000	-
			Staff Communication Expenses	33,230	-
			Staff Welfare Expenses	57,975	-
			Telephone & Internet Expenses	210,886	-
			Travel Expenses	1,992,108	-
			Water & Electricity Expenses	49,485	-
			TCS Aid 360	8,513,722	
			Closing Balance		
			a) Cash	6,534	
			b) Bank	174,451,283	2,014,322,493
TOTAL	**2,299,037,441**	**2,014,322,493**	**TOTAL**	**2,299,037,441**	**2,014,322,493**

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

AVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

CA Avineesh Matta
(Partner)
M. No. : 083054
Place: New Delhi
Date: 03.06.2015

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(Amount - Rs.)

PARTICULARS		AMOUNT (2014-15)		AMOUNT (2013-14)
SCHEDULE A - Corpus Fund				
Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		-
Add: Received During the year		-		2,000,000,000
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		2014-15		2013-14
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Received during the year		100,000,000		
Interest Earned during the year	7,237,062			
Less: TDS	708,000			
Less: Interest accrued but not due and received	414,616			-
Net Interest	6,114,446			-
Less: Utilization during the year				-
- Human Resource / Personnel Cost	823,264			-
- TCS Aid 360	3,049,380			-
- Travel Cost	606,370			
- Office Running Cost	582,955			
Total Utilization	5,061,969			
		1,052,477		
Closing Balance of Endowment Fund		**101,052,477**		
Add: Adjustments for				
TDS	708,000			
Interest Accrued	414,616			
Prepaid Expenses	679,011	1,801,627		
Closing Balance		**102,854,104**		-

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the purpose, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs. 10,52,477/- an amount of Rs. 10,50,000/- has been deposited in bank FDR on 9th April 2015.

AVIA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE C - Capital Grant in Aid		2014-15		2013-14
United Nations Development Programme				
Received during the year		1,602,703		-
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased		642,120		-
Closing Balance		**960,583**		**-**

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		2014-15		2013-14
Surplus				
Opening Balance		14,322,493		-
Add: Surplus of Income over Expenditure		191,638,586		14,322,493
Closing Balance		**205,961,079**		**14,322,493**

SCHEDULE E - Current Liabilities & Provisions		2014-15		2013-14
i. Current Liabilities				
Maintenance Charges Payable		5,000		-
ii. Provisions				
Employee Benefits				
- Long Term Defined Benefits Plan (Earned Leave)	181,170			-
- Short Term Benefits (Encashment of Leave)	81,986	263,156		-
Total		**268,156**		-

SCHEDULE G - Investments		2014-15		2013-14
Investments in FDR				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		-
Total		**2,000,000,000**		-

AVIA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		2014-15		2013-14
Investments in FDR				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		-
Total		**100,000,000**		**-**

SCHEDULE I - Cash & Bank Balances		2014-15		2013-14
Cash in Hand		6,534		-
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000394600000384	173,389,168			2,014,322,493
Account No. 000394600000391	4,639			-
Account No. 000394600000443	1,057,476	174,451,283		-
Total		**174,457,817**		**2,014,322,493**

SCHEDULE J - Other Current Assets		2014-15		2013-14
Interest Accrued on Fixed Deposits with Banks				
-Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	12,982,192			-
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	414,616	13,396,808		-
Prepaid License Fees		679,011		-
Security Deposit (Rent)		200,000		-
Tax Deducted at Source (2014-15)		19,994,301		-
Total		**34,270,121**		**-**

SCHEDULE K. Grants, Subsidies & Donations		2014-15		2013-14
i. Donation Received		-		1,000,000
ii. Grant From United Nation Development Program		6,482,447		-
Total Grants		**6,482,447**		**1,000,000**

AVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

SCHEDULE L. Other Incomes		2014-15		2013-14
Saving Bank Interest	10,077,894			13,322,493
Less:				
-Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	157,062	9,920,832		
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
-Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	192,863,014			-
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	7,080,000			
Total	199,943,014			
Less: Transrer to Tata Trust Endowment Fund for Instiutional Development and Partnerships	7,080,000	192,863,014		
Miscellaneous Income		642,120		-
Total		**203,425,966**		**13,322,493**

SCHEDULE M. Program Expenses		2014-15		2013-14
Policy Strategy & Partnership Development		328,693		-
Consultancy & Evaluation Fees		849,000		-
Expenditure on TCS Aid 360	8,513,722			-
Less: Utilization on account of Tata Endowment Fund for Instiutional Development & Partnerships	3,049,380	5,464,342		
Travel Expenses	1,314,809			-
Less: Utilization on account of Tata Endowment Fund for Instiutional Development & Partnerships	606,370	708,439		
Total		**7,350,474**		**-**

AVA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

SCHEDULE N. Establishment Expenses		2014-15		2013-14
Salary	7,632,507			-
Less: Utilization on account of Tata Endowment Fund for Instiutional Development & Partnerships	823,264	6,809,243		
Employer Contribution to Provident Fund		120,238		-
Earned Leave Expenses		263,156		-
EPF Admin Charges		9,000		-
Staff Communication Expenses		33,230		-
Total		**7,234,867**		**-**

SCHEDULE O. Other Administrative Expenses		2014-15		2013-14
Audit Fees		31,461		-
Books/ periodicals/publications		132,186		-
Equipment Maintenance Expenses		69,149		-
Conveyance Expenses		14,035		-
Fees and Registration		3,343		-
Meeting Expenses		509,174		-
Misc Expenses		3,400		-
Office Expenses	679,043			-
Less: Utilization on account of Tata Endowment Fund for Instiutional Development & Partnerships	582,955	96,088		
Postage & Courier		4,808		-
Stationary Expenses		48,187		-
Recruitment Expenses		436,905		-
Office Rent		676,000		-
Staff Welfare Expenses		49,706		-
Telephone & Internet Expenses		174,739		-
Travel Expenses		684,429		-
Water & Electricity Expenses		42,372		-
Total		**2,975,982**		**-**

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

Schedule F.

Schedule F-a

BRLF - FIXED ASSETS as on 31.03.15

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2014	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2015
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	-	16,800	-	-	16,800	10,080	6,720
Office Equipment	15%	-	89,787	-	-	89,787	13,468	76,319
Furniture & Fixture	10%	-	265,999	-	-	265,999	26,600	239,399
Sub Total						**372,586**	**50,148**	**322,438**
INTANGIBLE								
Computer Software	33%	-	49,200	-	-	49,200	16,236	32,964
Sub Total						**49,200**	**16,236**	**32,964**
Total						**421,786**	**66,384**	**355,402**

UNDP Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.15

Schedule F-b

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2014	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2015
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	-	871,770	195,000	-	1,066,770	581,562	485,208
Office Equipment	15%	-	167,573	5,950	-	173,523	25,582	147,941
Furniture & Fixtures	10%	-	273,273	77,736	-	351,010	31,214	319,796
Sub Total						**1,591,303**	**638,358**	**952,945**
INTANGIBLE								
Software	33%	-	11,400			11,400	3,762	7,638
Sub Total						**11,400**	**3,762**	**7,638**
Total						**1,602,703**	**642,120**	**960,583**

TOTAL TANGIBLE	**1,963,889**	**688,506**	**1,275,382**
TOTAL INTANGIBLE	**60,600**	**19,998**	**40,602**
GRAND TOTAL	**2,024,489**	**708,504**	**1,315,984**

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE-P

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 Basis of preparation

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting.

3.3 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues fund expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
ii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iii. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
iv. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.

3.5 Income Recognition

Interest on saving bank is recognized on accrued basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes inward freight, duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income.

B. Intangible Assets

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.
b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.
c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits
Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan
The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan
The provision in relation to Gratuity and Accumulated Encashment of Leave is made on employee discontinuance basis.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value is use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act..

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE-Q

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the Management Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

II. During the year Society has received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development And Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs. 72,37,062/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned and has utilized Rs. 50,61,969/-(including Rs. 679,011 being prepaid expenses) during the year 2014-15 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

III. Expenditure on TCS Aid 360 amounting to Rs. 85,13,722/- has been incurred during the year on implementation and other related costs of a web based application, namely TCS Aid 360 for the purpose of the programs of the society. The management considers that due to the nature of expenditure involved, such expense does not give rise to a recognizable intangible asset, of which the probability of flow of future economic benefits attributable thereto is not ascertainable; and therefore is expensed off. Out of the total amount incurred, Rs. 30,49,380/- is utilized against the TATA endowment fund as per the approval in executive committee meeting dated 19th December 2014 as cost towards System & MIS development and the balance is expensed of in Income and Expenditure account.

IV. During the year society has received grant of Rs. 80,85,150/- from United Nations Development Program (UNDP) and earned interest of Rs. 58,293.47. Out of total grant received Rs. 16,02,703/- has been used for purchase of fixed assets and treated as capital grant for the society. Depreciation of Rs. 6,42,120 provided in the books of accounts has been booked as miscellaneous Income in the Schedule L "Other Income".

V. During the year the Society has sanctioned Project Grant of Rs. 37,34,21,000/- to seven partners in the month of March 2015. Further no amount has been released to seven partners till 31.03.2015.

VI. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2015.

VII. Figures have been rounded off to nearest rupees.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS